खण्ड–32, अंक–02
बुधवार, 06 आश्विन, शक संवत्, 1933
(28 सितम्बर, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 32 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	'क'
विपक्ष के सभी सदस्य पोस्टर दिखाते हुए अपनी-अपनी बात पर चर्चा कराये जाने की माग करने लगे	1-8
प्रश्नोत्तर	9-33
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाए	34
जनपद अल्मोडा स्थित सूर्य मन्दिर कटारमल में स्वीकृत मार्ग का निर्माण न होने के सम्बन्ध मे नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद अल्मोडा के भिक्यासैंण अन्तर्गत नामित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई) में रोजगारपरक विषयो के न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद पिथौरागढ अन्तर्गत देवलथल में तहसील की स्थापना न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध मे नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	35-36
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखा गया)	36
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमो के निम्नलिखित संकलन (सदन के पटल पर रखा गया)	36-38
डा0 हरक सिह रावत, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा सिचाई, बाढ नियंत्रण मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	39-41
श्री किशोर उपाध्याय ,सदस्य विधान सभा द्वारा सिंचाई मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	42-43
उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	43-44
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	45-47
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए	47-49

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माग	50–53
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	53
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माग (क्रमागत)	53–60
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	60
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011	60–63
वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम अनुपूरक मागों का प्रस्तुतीकरण ...	63
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 (क्रमागत)(पारित)	63–87
उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (पारित)...	87–104
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 (पारित)	105–120
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाए	121
नत्थी	122–148

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डेय
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेगर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह राणा
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तसलीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–काजी मौ0 निजामुद्दीन
31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32–श्री प्रकाश पन्त
33–श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
34–श्री प्रीतम सिंह
35–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
36–श्री प्रेमानन्द महाजन
37–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38–श्री बलवीर सिंह नेगी
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री बंशीधर भगत
41–श्री बृज मोहन कोटवाल
42–श्री शेर सिंह गढ़िया
43–मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
44–श्री मदन कौशिक
45–श्री मनोज तिवारी
46–श्री मयूख सिंह
47–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"
48–श्री मातबर सिंह कण्डारी
49–श्री कुलदीप कुमार
50–श्री यशपाल बेनाम
51–श्री रणजीत रावत
52–श्री राजकुमार
53–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
56–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57–श्रीमती बीना महराना
58–श्री शहजाद
59–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61–श्री सुरेन्द्र राकेश
62–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63–श्री सुरेन्द्र चन्द जैन
64–श्री हरभजन सिंह चीमा
65–श्री हरिदास
66–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

विपक्ष के सभी सदस्य पोस्टर दिखाते हुए अपनी अपनी बात पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य हाथों में कागज के बैनर लेकर अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से एक साथ 'वेल' में आकर कहने लगे और नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) जब तक 'वेल' में खड़े समस्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते हैं तब तक किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ के कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

हमारे पास सूचना कहाँ है ? सूचना तो है ही नहीं। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल के बाद इस पर बात करेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा अपनी बात कहे जाने पर।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल के बाद बात करूँगा। माननीय सदस्य जब तक अपने स्थान पर नहीं चले जाते हैं तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मानानीय अध्यक्ष जी, किसी भी विषय को नियमों के अन्तर्गत लाने पर सरकार उस विषय पर चर्चा कराने को तैयार है।(व्यवधान) मान्यवर, कल भी यही हुआ और आज भी यही किया जा रहा है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य का संज्ञान न लिया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह प्रकरण माननीय न्यायालय में है। विपक्ष सदन में व्यवधान उत्पन्न करना चाहता है।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य बैनर लहराते हुये नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ के कुछ कहने पर)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सी0बी0आई0 तो आपके ही नियंत्रण में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज बच्चे भी लॉबी में बैठे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चर्चा की बात कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि नियमों में लायें तो चर्चा होगी, आप चर्चा भी नहीं कराना चाहते हैं, सी०बी०आई० तो आपके ही नियंत्रण में है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य बैनर लहराते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी द्वारा कुछ कहे जाने पर .....)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पहले स्थान तो ग्रहण कीजिए।

(माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल जी, अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहने लगे...... सदन में घोर व्यवधान होने के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दिया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य बैनर लहराते हुए पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा और श्री किशोर उपाध्याय जी बाहर गेट के पास बैठे हैं। कृपया उनके पास जाएं और उनसे अनुरोध करें कि वे सदन में आएं।

मैं सदन की कार्यवाही को 11.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

मानानीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

अटल खाद्यान्न योजना के प्रचार प्रसार पर कुल व्यय धनराशि तथा योजना के अनुरूप उपलब्ध कराया गया राशन

*1–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अटल सस्ता अनाज योजना के प्रचार–प्रसार पर कितना खर्चा किया गया है ?

उक्त योजना सरकार द्वारा लागू की गयी है या किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के माध्यम से ए०पी०एल० परिवारों को कितना चावल व गेहूँ उपलब्ध कराया जायेगा ?

क्या योजना के अनुरूप अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

अटल खाद्यान्न योजना के प्रचार–प्रसार पर रू० 2,91,03,280 (दो करोड़ इक्यानबे लाख तीन हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र) की धनराशि व्यय की गयी है।

ए०पी०एल०, बी०पी०एल० उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी है।

वर्तमान में अटल खाद्यान्न योजना के तहत ए०पी०एल० उपभोक्ताओं को 10 कि०ग्रा० गेहूँ 10 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रतिकार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी हाँ ।

उपरोक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न

नगरीय क्षेत्रों में अन्तिम कूड़ा निष्पादन की योजना,

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में अन्तिम कूड़ा निष्पादन का कोई निर्णय लिया गया है ?

नोट:–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली,2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

तथा मसूरी नगर पालिका परिषद में अन्तिम कूड़ा निष्पादन हेतु क्या कोई योजना स्वीकृत की गयी है ?

यदि हाँ, तो किस संस्था द्वारा इस परियोजना को नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

जी हाँ।

जी नहीं। वाह्य सहायतित परियोजनाओं (एडीबी) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन 28 नगरों में प्रस्तावित है, जिनमे मसूरी भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों की सहायता हेतु पर्यटन पुलिस की स्थापना एवं नियोजित करने का परिणाम.

*2–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पर्यटकों की सहायता हेतु पर्यटन पुलिस की स्थापना का निर्णय किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि पूर्व सैनिकों को पर्यटन पुलिस की ट्रेनिंग दी गयी थी?

यदि हाँ, तो क्या उन्हें नियुक्तियां दे दी गयी हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस को पर्यटकों की सहायता के लिए नियोजित करने का निर्णय लिया गया था?

यदि हाँ, तो इसके परिणाम क्या हैं?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये गये पूर्व सैनिकों को एक वर्ष की अवधि के लिये योजित किया गया था।

उपरोक्तानुसार

पर्यटक पुलिस एवं सहायता सेवा (परिवर्तित नाम–पर्यटक सुरक्षा एवं सहायता सेवा) में 10 प्रतिशत पदों अर्थात कुल 13 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी उत्तराखण्ड पुलिस से प्रतिनियुक्ति के आधार पर योजित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उत्तराखण्ड पुलिस से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध न हो पाने के कारण उक्त निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो सका।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को नियमित खाद्यान्न न दिये जाने के कारण

*3–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है ?

यदि हाँ, तो ऐसे कुल कितने बी0पी0एल0 श्रेणी के कार्ड धारक हैं जिनको नियमित खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है ?

तथा इसके क्या कारण है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

प्रदेश में बी0पी0एल0 श्रेणी के सभी राशन कार्ड धारकों को वर्तमान में बी0पी0एल0 श्रेणी का खाद्यान्न निर्धारित वितरण स्केल के अनुसार 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*4–श्रीमती अमृता रावत–

तृतीय सोमवार तारांकित प्रश्न–3 में स्थानां0

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन को रोकने हेतु सरकार द्वारा प्रयास तथा गैर आबाद एवं जनसंख्या विहीन गांव की सुरक्षा के उपाय,

1–श्री मयूख सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से हो रहे जनसंख्या पलायन की रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

जनपद पिथौरागढ़ से गत पांच वर्षों में हुए पलायन से कितने गांव गैर आबाद हुए हैं और जनसंख्या विहीन हुए गांव के रख–रखाव व सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से हो रहे जनसंख्या पलायन की रोकथाम के लिये राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में बुनियादी एवं अन्य अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत ग्राम लूम एवं सागड़ी ढकदौंगा विगत पांच वर्षों में गैर आबाद हुए हैं, जो उसी ग्राम से लगे अपने मूल ग्राम में निवास कर उक्त गैर आबाद ग्रामों में भी कृषि कार्य कर रहे हैं, पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। जनपद के अन्तर्गत पांच वर्षों में अन्य कोई ग्राम गैर आबाद नहीं हुआ है।

तृतीय सत्र, 2009 के उत्तरित प्रश्न के सन्दर्भ में पटवारी चौकियों का निर्माण एवं मुख्यालय स्थापना हेतु कार्यवाही तथा प्रगति.

2–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–6 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पटवारी चौकियों के निर्माण में बतायी गई आपत्तियों/त्रुटियों का निवारण करवाने तथा उक्त चौकियों में पटवारी मुख्यालय/कार्यालय स्थापित करने/करवाने के सम्बन्ध में तब से अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है ? क्या सभी निर्मित एवं अपूर्ण चौकियों में पटवारी कार्यालय स्थापित/संचालित किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो पटवारी चौकीवार विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायी के प्रति सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–6 के उत्तर में जिन पटवारी चौकियों का विवरण दिया गया है उन पटवारी चौकियों के निर्माण की प्रगति, कार्य संचालन/कार्यालय स्थापना के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है.–

तहसील	अपूर्ण पटवारी चौकियां	पूर्ण पटवारी चौकियां	पूर्ण पटवारी चौकियां जहां कार्यालय स्थापित/कार्य संचालित है।
सतपुली	खैरासैण, सांगलाकोटी	गोरसपुर,मंशाल	कार्यालय स्थापित
धुमाकोट	इडियाकोट तला	नैनीडांडा, दिगोलीखाल, सिमरैखाल, गीपली	कार्यालय स्थापित
थलीसैण	–	पैठाणी, कोलिडा जोगीमढी, नऊ तिरपालीसैण	पैठाणी एवं नऊ में कार्यालय स्थापित
कोटद्वार	–	बौला, मल्ली नाली नवोली कण्डाखाल	कार्यालय स्थापित
लैन्सडौन	पुल्यासू, रिंगालपानी–1 रिंगालपानी–2 नगालनाला	कण्डखणी, द्वारी रथोलीखाल, समाइखाल,	कार्यालय स्थापित
यमकेश्वर –		गंगाली, धनूर बिथ्याणी, बमोली छोटी, किलबोखाल, नगासू, फल्दाकोट, मोहनचट्टी, गैण्डा, नमोरगांव	कार्यालय स्थापित
पौड़ी	नीसां, बडियारगांव, पलोटा, बलनणा, पिलोलापुर, मलगांव, कोलटू बिलोली,	कमलेश्वर, मल्ली गणिस्याल	कमलेश्वर, मल्ली, गणिस्याल, पिलोलापुर एवं मलगांव में कार्यालय स्थापित
चौबट्टा–खाल	–	गुन्दरई, सीन्धार	–
श्रीनगर	–	नौर, डुंगरीखाल	कार्यालय स्थापित

पटवारी चौकियों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण तथा कतिपय पटवारी चौकियों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण इन चौकियों में मुख्यालय/कार्यालय स्थापित नहीं किये जा सके हैं। पटवारी चौकियों को पूर्ण न कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही गतिमान है।

जिन पटवारी चौकियों के निर्माण कार्य धनाभाव के कारण बाधित हैं, ऐसे पटवारी चौकियों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है एवं जिन पटवारी चौकियों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं उन्हें पूर्ण कराकर कार्यालय संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

3—श्रीमती मीना गंगोला—

द्वितीय सोमवार के अतारांकित—9 में स्थानां०

संस्कृत विश्वविद्यालयों/महा विद्यालयों में मानकों के अनुरूप स्वीकृत रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

4—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में स्थित संस्कृत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में मानकों के अनुरूप स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (मे.ज.अ.प्रा.) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

जी हाँ।

संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में पूर्व से सृजित रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

5—श्री जोत सिंह गुनसोला—

प्रथम सोमवार के अतारांकित —91 में स्थानां०।

बीरोंखाल एवं पोखड़ा में पर्यटन आवास गृहों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि तथा निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण

6—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत स्थान बीरोंखाल तथा पोखड़ा में पर्यटन आवास गृहों के निर्माण हेतु कब कितनी—कितनी धनराशि किस शासनादेश के द्वारा स्वीकृत की गई है तथा अब तक कब—कब कितनी—कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ?

और इन पर्यटक आवास गृहो के निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक इन आवास गृहों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा ?

तथा विलम्ब के क्या कारण है और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है?

श्री मदन कौशिक—

शासनादेश संख्या—88/VI/2006—3(15)/2005 टी० सी०, दिनांक 28 मार्च, 2006 के द्वारा मार्गीय सुविधा (लघु पर्यटक गृह) पोखड़ा हेतु रू० 27.13 लाख तथा मार्गीय सुविधा बीरोंखाल के लिए रू० 24.33 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसके सापेक्ष धनराशि निम्नवत अवमुक्त की गयी .

दिनांक	अवमुक्त राशि (रू० लाख में)	
	मार्गीय सुविधा पोखड़ा	मार्गीय सुविधा बीरोंखाल
28.3.2006	4.00	4.00
27.11.2008	15.00	15.00
15.3.2011	8.13	3.33

मार्गीय सुविधा पोखड़ा का निर्माण कार्य भू—तल पर प्रारम्भ हो गया है जिसकी भौतिक प्रगति 15 प्रतिशत है जबकि मार्गीय सुविधा बीरोंखाल का कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

पोखड़ा में स्थलीय विकास कार्य के दौरान स्थानीय ग्राम सभा द्वारा स्थल के आगे जीप मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने के कारण कम पड़ गयी भूमि के उपलब्ध कवर्ड एरिया के अनुरूप संशोधित डिजाइन बनाये जाने तथा बीरोंखाल में चयनित स्थल पर दैवीय आपदा से भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होने के कारण कार्य बाधित होने से विलम्ब होना पाया गया। विलम्ब के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं पाया गया है।

7—श्री जोत सिंह गुनसोला—

द्वितीय बुधवार तक स्थगित।

मसूरी नगरपालिका क्षेत्र में एम०डी०डी०ए० द्वारा पार्किंग स्थल हेतु निर्माण योजना।

8—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार मसूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में एम०डी०डी०ए० के साथ मिलकर कुल कितने व किन–किन स्थानों पर पार्किंग स्थल का निर्माण करने पर विचार कर रही है

तथा कब तक इन पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संविधान के 74 वां संशोधन के संगत प्राविधानों के तहत नगरपालिका व पंचायतों के चुनाव न कराने का कारण

9—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगरपालिका अधिनियम, 1916 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान नगरपालिकाओं एवं पंचायतों का गठन किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या संविधान के 74 वीं संशोधन के अन्तर्गत वरिष्ठ उपाध्यक्ष/कनिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

क्या संविधान के 74 वीं संशोधन के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त निकायों का चुनाव न कराने के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी ?

श्री मदन कौशिक—

जी हाँ।

भारत का संविधान में सन् 1992 में 74 वाँ संशोधन कर भाग 9 क जोड़ते हुए अनुच्छेद–243 त से 243 य छ तक राज्य में स्थानीय निकाय यथा नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद व नगर निगम के गठन तथा संचालन के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाये गये हैं। किन्तु उक्त में उपाध्यक्ष/कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद की अनिवार्यता के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध उल्लिखित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका मसूरी के अन्तर्गत बहुचर्चित घण्टाघर के तोड़ फोड़ के कारण व पुनः निर्माण कार्य

10–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका परिषद मसूरी के अन्तर्गत बहुचर्चित घण्टाघर को किन विधिक आदेशों के अन्तर्गत तोड़ा गया ?

क्या सरकार इस प्रकरण में तोड़–फोड़ से लेकर निर्माण किये जाने तक की प्रकिया की विस्तृत जांच करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो कब?

श्री मदन कौशिक–

नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–111 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं उक्त अधिनियम की धारा–7(थ) में उल्लिखित सम्पत्ति की सुरक्षा/अनुरक्षण तथा विकास कार्य करने की पालिका को प्राप्त शक्ति का उपयोग कर नगर पालिका परिषद् मसूरी की बोर्ड बैठक दिनांक 27–11–2009 में पारित प्रस्ताव संख्या यू0आर0–15/844 के निर्णयानुसार तोड़ा गया।

प्रकरण में नायब, तहसीलदार मसूरी से जांच करायी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव, पुरोला व मोरी को पृथक यमुनाघाटी जनपद बनाये जाने की मांग

11–श्री केदार सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव पुरोला व मोरी विकास खण्ड की जनता विगत काफी समय से पृथक यमुनाघाटी जनपद की मांग करती आ रही है ?

यदि हां, तो सरकार जनता की इस न्यायोचित मांग पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हां,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.08.2011 को सुगम प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदों के आकार को कम करते हुये कोटद्वार, यमुनोत्री, डीडीहाट तथा रानीखेत जनपदों के सृजन की घोषणा की गयी है। घोषणा के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है

जनपद पौड़ी अन्तर्गत अपूर्ण पटवारी चौकियों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण.

12–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 तथा 07 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अपूर्ण पटवारी चौकियों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक अपूर्ण पटवारी चौकियों का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 तथा 07 के उत्तर में जिन पटवारी चौकियों का विवरण दिया गया है, उन पटवारी चौकियों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण निम्नवत है.–

अतारांकित पत्र संख्या–15 में दिये गये उत्तर के कम में पटवारी चौकियों की अद्यतन स्थिति

तहसील	वर्तमान में अपूर्ण/लम्बित पटवारी चौकियां	पूर्ण पटवारी चौकियां
सतपुली	श्रीकोटखाल, पटोथ	–
धुमाकोट	एन्डूखाल, शंकरपुर अन्दरोली, सिलगोटीखाल, गोलीखाल, थापला, गमरईखाल, स्यूदराकी, गामन्दा, स्याल्यूसांदा	डुंगरी, मोरगढ़
थलीसैंण	नयोलीखण्ड, अरगणसई, पौरीखाल, मसोला ताशपुर, नौसीखाल	गौनखाल
कोटद्वार	लीसीखाल, राजगाद, कलूड़, अजमेरगजा–1, समरालस्यूं–2, सीला–3	अजमेरगजा–1 अजमेरगजा–3
लैन्सडौन	दशमेरी कलूड़ नया हथनूड़	–
यमकेश्वर	बगारामला, डौर, तिमली	बमकांडा
पौड़ी	रैदुल, सगानीखाल, थिप्रखाल, धर्पानियालगांव मरोड़ा मरोड़ा	मल्ली, थली, सहुड़ादेवी
चौबट्टाखाल	नाप्सई नरारू, पिंगलापाखा, चौन्दोलस्यूं–1 मवालस्यूं–2, कर्पानियालगांव, कांडागाड–1	नदोथ, एसकोटमजा, सिंताज गम्भेश्वर

अतारांकित प्रश्न संख्या 07 में दिये गये उत्तर के क्रम में पटवारी चौकियों की अद्यतन स्थिति

तहसील	पटवारी चौकियाँ जहाँ मुख्यालय/कार्यालय स्थापित नहीं किये गये हैं।	वर्तमान में पटवारी चौकियाँ जहाँ मुख्यालय/कार्यालय स्थापित किये गये हैं।
सतपुली चुनाकोट	सौरासैण, एठियाकोट तल्ला	कफलाखोली, कंडारपुर, बौसाल नैनीडांडा, डिगोलीखाल सिरोलीखाल गीपती
थलीसैण	कांडला, जोगीमढ़ी, तरपालीसैण	पैठाणी, नऊ
कोटद्वार	—	नौंठा, मानवी, नाली मठोली, कण्वाश्रम
लैन्सडौन	डुल्याखू, रिंगालपानी–1 रिंगालपानी–2	गाण्डखाणी, ढाँगी, सगाला तल्ला, जयहरीखाल, डाबोली खाल
यमकेश्वर	नसोली डांडी, तिलपाटखाल	गहरवाली, थनूल, बिथ्याणी, बणास, फल्दाकोट, मोहन चट्टी, गैण्डा एवं बनोलगांव
पौड़ी	सीरौं, पलोटा, पाबमणा, कोलू बिहाली	कमलेश्वर, मानसी, धारियाल, फिरोजपुर, गडकोट
चौबट्टाखाल	गुन्काई, सैन्धार	—
श्रीनगर	—	नगीत, डुंगरीखाल

पटवारी चौकियों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण तथा कतिपय पटवारी चौकियों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण इन चौकियों में मुख्यालय/कार्यालय स्थापित नहीं किये जा सके है। पटवारी चौकियों को पूर्ण न कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही गतिमान है।

जिन पटवारी चौकियों के निर्माण कार्य धनाभाव के कारण बाधित हैं, ऐसे पटवारी चौकियों को पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

पुरोला को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार

13–श्री राजेश जुवांठा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत पुरोला को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शराब उपभोक्ताओं को शराब खरीद की रसीद दिये जाने का प्राविधान

14–श्री मनोज तिवारी–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे क्या प्रदेश के शराब विक्रेता (शराब दुकानदार) उपभोक्ताओं को शराब खरीद की रसीदें देते हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

उत्तराखण्ड शासन की आबकारी नीति वर्ष 2010–11 के नियम–9 के अनुसार देहरादून/नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार जनपदों में सर्वाधिक लाईसेंस फीस वाली मदिरा की फुटकर दुकानों को रसीद देने हेतु व्यवस्था करने की अनिवार्यता की गई है। अन्य जनपदों व अन्य दुकानों के लिए रसीद दिये जाने का नियमों में प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की मलिन बस्तियों को नियमित किये जाने हेतु योजना।

15–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या मलिन बस्तियों को नियमित किये जाने हेतु योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मलिन बस्तियों को नियमित करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

राज्य को मलिन बस्ती मुक्त करने हेतु राज्य स्लम नीति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के कोटद्वार स्थित बुद्ध पार्क के सौन्दर्यकरण हेतु घोषित धनराशि की स्वीकृति

16–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि घोषणा संख्या–667/2011 दिनांक 28.05.2011 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में बुद्ध पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि स्वीकृति की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर धन अवमुक्त करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून के डिफैन्स कालोनी व शाहनगर के मध्य स्थित गौरादेवी वाटर पार्क का शिलान्यास तथा प्रस्तावित क्षेत्रफल व अनुमानित लागत

17–श्रीमती अमृता रावत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत डिफैंस कालोनी और शाहनगर (गोरखपुर) के मध्य स्थित तालाब के स्थान पर गौरादेवी वाटर पार्क का शिलान्यास हुआ था ?

यदि हां, तो उसका शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया ?

तथा पार्क का प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण क्या था ?

एवं पार्क की अनुमानित लागत क्या थी ?

श्री मदन कौशिक–

जी हां।

दिनांक 18–3–2008 को मा० कृषि मंत्री जी द्वारा किया गया।

8096 वर्ग मीटर।

₹ 212.28 लाख।

18–श्री प्रेमानन्द महाजन–

द्वितीय बुधवार तक स्थगित।

वि0स0 क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत मिलन ग्लेशियर, आदि कैलाश एवं छिपलाकोट जाने वाले पर्यटकों की संख्या तथा पैदल मार्ग व विश्राम भवन की योजना।

19–श्री गगन सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विश्व प्रसिद्ध मिलन ग्लेशियर और आदि कैलाश, छिपलाकोट जाने वाले पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष कितनी है ?

क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों के लिए पैदल मार्ग तथा विश्राम हेतु आवासीय भवनों आदि के निर्माण की योजना बना रही है ? यदि हां, तो निर्मित की जाने वाली योजनाओं का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

मिलम ग्लेशियर, आदि कैलाश तथा छिपलाकोट जाने वाले पर्यटको की संख्या गत तीन वर्षों में निम्नवत रही है.–

कलेंडर वर्ष	मिलम ग्लेशियर	आदि कैलाश	छिपलाकोट
2009	40	409	20 25
2010	25	565	प्रतिवर्ष
2011 (31.8.2011तक)	246	336	

जी हाँ। मिलम ग्लेशियर के अन्तर्गत लिलम, बगुडियार, बुफू, रिलकोट, मर्तोली, पॉंदू, मिलम आदि पडावों में पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए केन्द्र वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मुनस्यारी डेस्टिनेशन में रू0 237.09 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। मिलम ग्लेशियर जाने वाले पैदल मार्ग और कैलाश मार्ग की देख–रेख लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। आदिकैलाश के अन्तर्गत कुटी पडावों में पर्यटन आवासीय सुविधाओं का निर्माण ट्राईबल सब प्लान मे दारमा व्यास वैली योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रू0 108.00 लाख के सापेक्ष किया जा रहा है। नौला से छिपलाकेदार पर्यटक स्थल के मार्ग सुधारीकरण हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि तथा पर्यटक स्थल छिपलाकोट मे टिन शेड तवाघाट–खेला–गर्गुवा से छिपलाकोट मार्ग निर्माण हेतु रू0 20.60 स्वीकृम किये गये है। आदिकैलाश यात्रा मार्ग में आवासीय सुविधाओं का विस्तार एवं पार्वती सरोवर क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत रू0 31.45 लाख के सापेक्ष कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कुल धार्मिक स्थलों का पर्यटन हेतु चयन तथा विकसित किये जाने की योजना।

20—श्री शेर सिंह गड़िया—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत कुल कितने धार्मिक स्थलों को पर्यटन के अन्तर्गत चयनित किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ?

यदि हां, तो कुल कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

सरकार द्वारा राज्य योजना तथा केन्द्र पोषित पर्यटन सर्किट/मेगा पर्यटन सर्किट विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 220 पर्यटक स्थलों, जिनमें पर्यटन महत्व के धार्मिक स्थल भी सम्मिलित है, को चयनित कर उक्त स्थलो पर पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व प्रसिद्ध पिण्डारी ग्लेशियर के विकास हेतु केन्द्रीय पर्यटक सर्किट योजना में स्वीकृत धनराशि व निर्माण योजना।

21—श्री शेर सिंह गड़िया—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध पिण्डारी ग्लेशियर के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन सर्किट में कुल कितनी योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की गई ?

क्या यह सत्य है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवशेष है?

तथा वहां पर निर्माणाधीन योजनाओं की गुणवत्ता खराब थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजनाओं के निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत न कराये जाने के क्या कारण है ?

क्या अवशेष धनराशि से अन्य कार्य कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कराये जाने वाले कार्यों का स्वरूप क्या होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

केन्द्रीय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बिन्सर–बैजनाथ–बागेश्वर पर्यटन सर्किट में 15 स्थलों के विकास हेतु धनराशि स्वीकृत हुई जिसमें पिण्डारी ग्लेशियर मार्ग में आवासीय सुविधाओं का निर्माण, पैदल मार्गों की मरम्मत, कैंपिंग साइट का विकास तथा विद्युतीकरण आदि की योजनाएं भी सम्मिलित हैं।

जी हाँ। रू० 75.00 लाख की धनराशि अवशेष है।

कतिपय योजनाओं में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता खराब पायी गयी थी जिसके कारण ऐसी योजनाओं के कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त पिण्डारी ग्लेशियर मार्ग काफी ऊंचाई पर स्थित होने से कार्य करने हेतु वर्षभर में कम समय उपलब्ध होने के कारण भी विलम्ब हुआ।

अवशेष धनराशि से कपकोट में दस शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 की महत्वपूर्ण सूचना है, उसको सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और 'वेल' में खड़े होकर पोस्टर लहराते हुए अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री प्रेमानन्द महाजन, हाजी तस्लीम अहमद, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री अजय टम्टा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती अमृता रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई है। मैं इनमें से श्री प्रेमानन्द महाजन, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री अजय टम्टा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद अल्मोड़ा स्थित सूर्य मन्दिर कटारमल में स्वीकृत मार्ग का निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री अजय टम्टा–

[मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के कटारमल नामक स्थान पर ऐतिहासिक महत्व एवं उत्तर भारत का एक मात्र सूर्य मंदिर स्थापित है। मन्दिर तक जाने के लिये सड़क निर्माण हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम फेज का कार्य हो चुका है, लेकिन द्वितीय फेज का कार्य हेतु धन की व्यवस्था न होने से जहां मन्दिर तक मार्ग की उचित व्यवस्था नहीं है। वहीं हम देश विदेश से आने वाले दर्शनार्थियों द्वारा होने वाली भारी आय से भी वंचित हो रहे हैं साथ ही क्षेत्रीय जनता के कोप का भाजन भी बन रहे है जो भविष्य में किसी बड़े जनआंदोलन को जन्म दे सकती है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु शीघ्र द्वितीय फेज हेतु धन की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए निर्माण कार्य अविलम्ब आरम्भ करायें।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण अन्तर्गत नामित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0) में रोजगारपरक विषयों के न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैंण विधानसभा क्षेत्र में स्याल्दे मासी दौला, सदर–सकनणा (क्वेरजा) व सल्ट विधानसभा के मछोड़ में विभाग द्वारा अत्यधिक धन व्यय करने के उपरान्त भवनों का निर्माण किया गया है, परन्तु ना तो उन भवनों का उपयोग प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है और जहाँ हो भी रहा है वहाँ एक या दो ऐसे विषयों से जनता में भारी रोष व्याप्त है और वह कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये इन सभी में रोजगार परक विषयों को बढ़ाने के साथ निर्मित भवनों को भी शीघ्र उपयोग में लाया जाये यह मांग करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्या अपने स्थान पर खड़ी नहीं हुई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत देवलथल में तहसील, की स्थापना न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियमस 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत देवलथल में तहसील की स्थापना हेतु वर्ष 1979 से लगातार आन्दोलन किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता द्वारा वर्ष 1994, वर्ष 1997, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2003 में क्रमिक अनशन भी किया गया, और आश्वासनों के आधार पर अनशन समाप्त हुये, परन्तु आज तक उस क्षेत्र को तहसील घोषित नहीं किया गया है। वर्तमान में क्षेत्रीय जनता 208 दिन से लगातार क्रमिक अनशन कर रही है, लेकिन आज तक क्षेत्रवासियों की मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया है। जिससे क्षेत्र की जनता लम्बे समय से अपनी उपेक्षा से खिन्न और आक्रोशित है। यह क्षेत्र सैनिक एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहा पर तहसील हेतु सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है तथा दिनांक 12 फरवरी, 2004 को इसे उप/तहसील/भी बना दिया गया है, परन्तु क्षेत्र वासियों की मांग है कि इसे पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

(शोर व्यवधान के मध्य)

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री(श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(शोर व्यवधान के मध्य)

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के निम्नलिखित संकलन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के निम्नलिखित संकलनों को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ओम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2010

(2) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शिका)(द्वितीय संशोधन)विनियम,2010

(3) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग(जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 30-06-2010 तक)

(1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकण (दिनांक 30-09-2010 तक)

(2) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकण (दिनांक 31-03-2011 तक)

(3) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 30–06–2011 तक)

(4) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 30–11–2011 तक)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(4) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबन्धन)विनियम, 2010

(5) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम (कठिनाईयों का निराकरण) (प्रथम) आदेश 2010

(6) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010

(7) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम, 2010

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य वेल में पूर्ववत् अपनी–अपनी बात को कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने हेतु अपने स्थान पर नहीं गये)

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री दिनेश अग्रवाल,सदस्य,विधान सभा द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

डा0 हरक सिंह रावत, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 07 फरवरी, 2011 को सूचना दी कि माननीय किशोर उपाध्याय, विधायक, टिहरी दिनांक 06.02.2011 को अपने विधान सभा क्षेत्र के दौरे पर टिहरी गये थे, उन्होंने दो दिन पूर्व ही टी0एच0डी0सी0 व प्रशासन को अपने कार्यक्रम के बारे में

अवगत करा दिया था, लेकिन जब वे टिहरी टी०एच०डी०सी० के गेस्ट हाउस पहुँचे तो प्रशासन ने गेस्ट हाउस नही खोला, उन्हें रात बरामदे में व्यतीत करनी पडी। इससे माननीय सदस्य की अवमानना हुई है जो एक गम्भीर मामला है। उल्लेख किया गया कि यदि सरकार व प्रशासन का यही व्यवहार जन प्रतिनिधियो के प्रति रहेगा तो इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। विधायकगण जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी असहज महसूस करेगे। माननीय श्री किशोर उपाध्याय के प्रति सरकार व प्रशासन का यह घृणित व्यवहार इसलिए है कि उन्होंने टिहरी महोत्सव का विरोध किया था, उन्होने कहा था कि यदि टिहरी बाध विस्थापितो दैवीय आपदा पीडितो, विकास, रोजगार जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं का जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक नाच–गाने (महोत्सव) की आवश्यकता नही। पीडितो के घावो पर यदि सरकार मरहम नहीं लगा सकती है, तो नमक तो न छिडके। माननीय विधायक जी का अपमान, उन्हे जनहित के कार्य करने से रोकना ये सरकार व प्रशासन का लोकतंत्र को कमजोर करना व विधायिका पर हमला है। संरक्षण देने हेतु अनुरोध किया गया था।

डा० हरक सिंह रावत, माननीय नेता प्रतिपक्ष एव श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री किशोर उपाध्याय, माननीय सदस्य, विधान सभा की अवमानना के सम्बन्ध में अभिसूचित सूचना दिनांक 07.02.2011 के कम में माननीय सिंचाई, बाढ नियंत्रण मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2011 द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल से आख्या प्राप्त की गई, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 07.02.2011 को माननीय मुख्यमंत्री जी का टिहरी महोत्सव, 2011 के उद्घाटन अवसर पर भागीरथीपुरम और नई टिहरी में आगमन तथा भागीरथीपुरम स्थिति टी०एच०डी०सी० गेस्ट हाउस के समीप हैलीपेड पर हैलीकॉप्टर लैण्ड करने का कार्यकम निर्धारित था तथा भोजन की व्यवस्था उक्त गैस्ट हाऊस में की गई थी। माननीय विधायक को इन सभी कार्यकमों की जानकारी विधिवत् दी गयी थी तथा दिनांक 06.02.2011 को उनके अवस्थान हेतु नई टिहरी टी०एच०डी०सी० अतिथि गृह में हटे रहे।

जिलाधिकारी, टिहरी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि टिहरी महोत्सव समिति–2011 की कार्यकारिणी में कांग्रेस सहित सभी राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित थे। माननीय विधायक श्री उपाध्याय जी से महोत्सव समिति के अध्यक्ष के नाते आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सहयोग चाहने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसे उनके द्वारा अस्वीकार किया गया। श्री उपाध्याय द्वारा समाचार–पत्रो सहित अन्य कतिपय माध्यमो से माननीय मुख्यमंत्री जी के उक्त कार्यकम का पुरजोर विरोध करने एव इसमें व्यवधान की चेतावनी दी गई थी। टिहरी महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय विधायक होने के नाते श्री उपाध्याय को कार्यकम की अध्यक्षता हेतु निमंत्रण–पत्र भेजा गया था तथा उद्घाटन शिलापट्ट पर उनका नाम अंकित किया गया था। अतः उनकी उपेक्षा या उनकी अवमानना किये जाने का आरोप पूर्णतः निराधार प्रतीत होता है।

माननीय मंत्री जी की आख्या से स्पष्ट है कि माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी की किसी प्रकार से अवमानना नहीं की गयी है अपितु तात्कालिक परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन, टिहरी गढ़वाल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य विधान सभा एवं माननीय सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराई गयी वस्तुस्थिति की जानकारी के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है और तदनुसार मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा सिंचाई मंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा ने नियम—65 के अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च, 2010 को सूचना दी है। पत्र में उल्लिखित विषय को उन्होंने दिनांक 23 मार्च, 2010 को सदन में भी उठाया। उनका कथन है कि टी0एच0डी0सी0 द्वारा स्वीकृत आई0टी0आई0 के छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी और निमंत्रण पत्र तथा अखबार में उनका नाम दे दिया गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार तथा टी0एच0डी0सी0 के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही की मांग की है। इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री जी तथा टी0एच0डी0सी0 के सी0एम0डी0 से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। अपनी सूचना दिनांक 22 जुलाई, 2010 में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा है कि माननीय सदस्य को कार्यक्रम की अध्यक्षता की सूचना दी गयी थी। उन्होंने स्वयं माननीय सदस्य को आने की सूचना दी थी। माननीय सदस्य ने टेलीफोन पर बताया कि वे डोईवाला से आ रहे हैं। 02 घण्टे तक कार्यक्रम स्थल पर माननीय सदस्य का इन्तजार किया गया। जब माननीय सदस्य नहीं पहुचे तो दो घण्टे बाद आई0टी0आई0 चम्बा के छात्रावास का शिलान्यास किया गया। इस सम्बन्ध में उनके पी0आर0ओ0 द्वारा भी माननीय सदस्य को कार्यक्रम में आने की सूचना दी गयी थी। उनके द्वारा विगत विधान सभा सत्र में उल्लिखित प्रकरण का सदन में भी उत्तर दिया जा चुका है। उक्त के सम्बन्ध सी0एम0डी0, टी0एच0डी0सी0 की ओर से श्री विजय गोयल, अपर महाप्रबन्धक ने अपने पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2010 द्वारा अवगत कराया है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा, टिहरी गढ़वाल, भारत सरकार के उन 1936 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है, जिसका चयन भारत सरकार की पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना के तहत किया गया है। इस संस्थान के उत्थान के लिए टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 (भारत सरकार का सार्वजनिक उपकम) एक औद्योगिक

पार्टनर है तथा आई०टी०आई० के विकास के लिए प्रयासरत् है। आई०टी०आई० चम्बा का भवन 2005 में बनकर तैयार हो गया था, आई०टी०आई० चम्बा के विकास हेतु स्थानीय छात्र/छात्राओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टी०एच०डी०सी इण्डिया लि० कटिबद्ध है। टी०एच०डी०सी० इण्डिया लि० अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम(सी०एस०आर) के तहत् विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य कर रही है। आई०टी०आई० चम्बा में गरीब एव दूर दराज के छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। जिसके तहत् इस कठिनाई महसूस की जा रही थी। जिसके तहत् इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए टी०एच०डी०सी इण्डिया लि० द्वारा छात्रों के रहने के लिए एक छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया गया। जिसका कि विधिवत शिलान्यास दिनाक 20 मार्च, 2010 को मुख्य अतिथि माननीय सिचाई मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम मे माननीय विधायक, टिहरी, श्री किशोर उपाध्याय जी की गरिमामयी उपस्थिति में होना था, परन्तु किसी कारणवश वह इस कार्यक्रम मे पहुंच नहीं पाए। इस कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध मे माननीय विधायक जी को पूर्व मे अवगत करा दिया गया था। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि टी०एच०डी०सी० इण्डिया लि० का ऐसा किसी प्रकार का उद्देश्य नही था जिससे माननीय विधायक एव विधान सभा के सम्मान को ठेस पहुचे। उक्त दोनो स्पष्टीकरण सूचनाओं से ज्ञात होता है कि आई०टी०आई० के छात्रावास का शिलान्यास कार्यक्रम भारत सरकार के उपक्रम का था। प्रदेश के माननीय सिंचाई मत्री तथा स्थानीय माननीय विधान सभा सदस्य को उचित सम्मान देने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम मे आमंत्रित किया। माननीय सिंचाई मत्री जी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, किन्तु माननीय सदस्य उपस्थित नही हो सके। माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय सिंचाई मंत्री एवं अपर महाप्रबन्धक, टी०एच०डी०सी० द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की जानकारी के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नही है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे, मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार अवमान के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त——

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष—

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 27 सितम्बर, 2011 की बैठक में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर, 2011 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है—

<u>सितम्बर,2011</u>

28,बुधवार

(क) विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (1घण्टा)
2. उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण।(1 घण्टा)
3. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (1 घण्टा)

(ख) 1. वित्तीय वर्ष 2011—12 की प्रथम अनुपूरक अनुदान—मांगों का प्रस्तुतीकरण। (4.00 बजे)

29 बृहस्पतिवार (1) वित्तीय वर्ष 2011—12 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान (आधा दिवस)

(2) असरकारी कार्य (आधा दिवस)

असरकारी विधेयक

1. श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड पंचायत राज विधेयक, 2011 का प्रस्तुतीकरण एवं विचार।

असरकारी संकल्प—

1. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा—

"यह सदन संस्तुति करता है कि एक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थल होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड में पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों

को परिवहन की नियमित एवं सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश की परिवहन नीति में तुरन्त आवश्यक संशोधन किये जांय।"

2. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन किया जाय।"

नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव–

1. डा० हरक सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर,2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

2. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–

"इस सदन का सुविचारित मत है कि संविधान 74 वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।"

3. काजी मौ० निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में आम आदमी को मंहगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पैट्रोल पर वैट को घटाया जाये।"

('वैल' में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत हाजी तस्लीम अहमद, श्रीमती अमृता रावत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा हरिदास, श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद हरिद्वार के डेंगू बुखार से हो रही मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद की सूचना को तथा प्रदेश में एल0टी0 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 के परीक्षा परीक्षा परिणाम में असमानतायें एवं त्रुटियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा जनपद ऊधमसिंह नगर के सिडकुल क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के पी0एफ0, बोनस तथा नियमितीकरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(वेल में खड़े सभी माननीय सदस्य बैनर लहराते हुये नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, एल0टी0 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की द्वारा कराई गई है, इसमें भारी घोटाला हुआ है। मान्यवर, इसमें पूरा प्रश्नपत्र गलत है, इसके मेरे पास तथ्य हैं, इस भर्ती परीक्षा में सरकार ने जाँच के आदेश दिये हैं, लेकिन उस जाँच से उसका भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, सरकार ने स्वीकार किया है कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें खामियां हुई है, इसलिए सरकार ने जाँच के आदेश दिये हैं, इसमें मैं सी0बी0आई0 जाँच की मांग करता हूँ, इसमें 50 हजार

नौजवानों के भविष्य का सवाल है। भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार ने जाँच के आदेश देकर स्वीकार किया है कि इसमें भारी गलतियाँ हुइ है, मैं इसमें सरकार की 10 दिन की जाँच से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए इसमें इसमें नियुक्तियां निरस्त करके सी0बी0आइ0 जाँच की मांग करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तिलक राज बेहड जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एव ब0स0पा0 के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी नियम–58 की सूचना पर अपनी बात को रख रहे हैं, कृपया उनको सुनने में सहयोग प्रदान करें, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज नियम–58, नियम–310 के नियमों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, उन पर विचार होना है और तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होनी है, मेरा आपसे निवेदन है और सम्भवतः आप जानते है कि विधान सभा का अन्तिम सत्र हो सकता है, हो सकता है इसके बाद भी हो, परन्तु यह विधान सभा अपने अन्तिम चरणों के पडाव पर अवश्य है, इसलिए अनेक मुद्दो पर जनता ने हमसे उम्मीद की है, इसलिए अपने विषयों पर, अपनी समस्याओं पर सुनना चाहेंगे और सब हमारी ओर देख रहे हैं, कृपया सहयोग प्रदान करे, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन की कार्यवाही को 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

*श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, हमने नियम–310 के अन्तर्गत सूचना दी है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खडे हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मानानीय अध्यक्ष जी, आखिरी सत्र है और कल सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि लोग हमेशा याद रखें।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले सूचना देख तो लूं। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।) (व्यवधान)

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब आप लोग अपने–अपने स्थान पर जायेंगे, तभी तो किसी विषय पर विचार हो पायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल छः सूचनायें प्राप्त हुई हैं।...........

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हम नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराने की मांग कर रहे है।........

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और बैनर लहराते हुये अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मेरी पूरी बात तो आने दीजिए।

जो मद चल रही है, वह तो पहले पूरी होनी चाहिये।

'वेल' में मौजूद माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

'वेल' में मौजूद माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जायेगा जब तक कि माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस न चले जाएं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-58 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। पहली सूचना जनपद हरिद्वार के डेंगू बुखार से हो रही मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, हाजी तस्लीम अहमद की है, दूसरी सूचना प्रदेश में एल0टी0, सहायक भर्ती परीक्षा, 2010 के परीक्षा परिणाम में असमानतायें एवं त्रुटियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की है तथा तीसरी सूचना जनपद ऊधमसिंहनगर के सिडकुल

क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के पी0एफ0, बोनस तथा नियमितीकरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना को ग्राह्यता पर सुनने के लिए मैंने स्वीकार किया था जिसमें से प्रथम दो सूचनाओं पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार नहीं रखने चाहे। मैं अंतिम सूचना पर श्री प्रेमानन्द महाजन जी को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं है, कैसे बोलूं मान्यवर।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज नियम–310 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से प्रथम सूचना माननीय श्री यशपाल बेनाम की है जो राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों की सम्पत्ति के ब्यौरे के साथ–साथ विधायकों की सम्पत्ति का ब्योरा देने एवं उसकी जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना माननीय श्री किशोर उपाध्याय, माननीय श्री तिलक राज बेहड़, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी, माननीय श्रीमती अमृता रावत, माननीय श्री करन मेहरा, माननीय श्री प्रीतम सिंह, माननीय श्री मनोज तिवारी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल आदि सदस्यों की है जो प्रदेश सरकार के विगत साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, विषय की ओर ध्यान, आकर्षित करते हुए उन्होंने चर्चा की मांग की है। तीसरी सूचना माननीय श्री किशोर उपाध्याय, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय श्री केदार सिंह रावत, माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल आदि सदस्यों की है जो सरकार की अदूरदर्शिता, संवेदनहीनता तथा सोचविहीनता के कारण आज पूरे प्रदेश में धरने एवं प्रदर्शनों से सम्बन्धित है। चौथी सूचना माननीय हाजी तस्लीम अहमद, माननीय श्री हरिदास, माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश की है जो कुम्भ में घोटाला एवं मंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा की गई करोड़ों की अवैध वसूली के सम्बन्ध में है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

पॉचवी सूचना माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल एवं माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद की है, जो पंत नगर विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय फार्म मजदूर/कर्मचारी आवासीय भूखण्ड संघर्ष समिति पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के बैनर तले क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में है तथा छठी सूचना माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की है, जो पूर्व मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" के इस्तीफे के पश्चात् भी उनके द्वारा नियुक्त दायित्वधारी तथा सभा सचिवों की असंवैधानिक रूप से निरन्तरता के फलस्वरूप सरकारी धन के निरर्थक व्यय के सम्बन्ध में है। इनमें से मै दूसरी सूचना, जो की प्रदेश सरकार के विगत साढे चार वर्षो के कार्यकाल में सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, के सम्बन्ध में है तथा छठी सूचना जो पूर्व मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" के इस्तीफे के पश्चात् भी उनके द्वारा नियुक्त दायित्वधारी तथा सभा सचिवो की असंवैधानिक रूप से निरन्तरता के फलस्वरूप सरकारी धन के निरर्थक व्यय के सम्बन्ध में है, को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ और अन्य सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी, माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल तथा माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल का नाम पुकार जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खडे नही हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इन पर पुनः विचार करते हुए इनको मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। मै नियम 310 की सूचना को ग्राह्यता पर सबको सुन रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, जब आप ग्राह्यता पर बोलेंगे तभी तो चर्चा की बात आएगी। आप विषय तो रखिये। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं नियम 310 में दी गई सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी हम पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं। जब आप ग्राह्यता पर बोलेंगे तभी तो चर्चा की बात आयेगी। आप कहना क्या चाहते हैं, बताइये तो सही।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। 'वेल' में खड़े किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के इतने विद्वान साथी हैं, नियम–310 के अन्तर्गत किस प्रकार से चर्चा के लिए प्रस्ताव किया जाता है, यह इनकी जानकारी में है, श्रीमन्। सिर्फ उद्देश्य हंगामा करना ही है। माननीय सारी जानकारी है कि नियम–310 के अन्तर्गत प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। जब सदन में प्रस्ताव लायेंगे ही नहीं तो चर्चा कैसे सदन के अन्दर होगी। आप नियम–310 के अन्तर्गत प्रस्ताव ही नहीं ला रहे है। आप प्रस्ताव तो लाइये हम चर्चा स्वीकार करने को तैयार है। जब आप ग्रायहृता पर बोलेंगे तभी तो प्रस्ताव आयेगा। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, आपको तो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिलना है। कम से कम आप से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने नोटिस दिया है आप इस नोटिस की ग्राह्यता पर बोलेंगे। (व्यवधान) आपको प्रक्रिया की सारी जानकारी है, आप हमारे विद्वान साथी हैं। लेकिन आज माननीय सदस्यों का एक ही उद्देश्य प्रतीत होता है कि सदन न चले।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप अपने स्थान पर तो जाइये। जब आप ग्राह्यता पर बोलेंगे तभी तो प्रस्ताव आयेगा। मान्यवर, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, केवल नारे हैं। यदि आपके पास बोलने के लिए होता तो कुछ तो बोलते।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3.55 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28.09.2011 की बैठक में दिनांक 29.09.2011 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है.–

सितम्बर, 2011

28(गुरूवार)

विधायी कार्य. 1. उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण।(एक घण्टा) शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा–समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावित विधेयक/अधिनियम से अखिल भारतीय सेवायें, राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा को छोड़कर अन्य समस्त राज्याधीन सेवायें आच्छादित होंगी। प्रस्तावित अधिनियम में कार्य हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्मिकों की सुविधा एवं जनहित के मध्य संतुलन स्थापित करना। एक निश्चित अवधि तक सुगम क्षेत्र में तैनाती के पश्चात दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तैनाती, दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के लिए प्रोत्साहन तथा प्रोन्नति हेतु दुर्गम क्षेत्र में तैनाती अनिवार्य। तथा दुर्गम क्षेत्र में एक निश्चित अवधि पूर्ण करने के पश्चात सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तैनाती। स्थानान्तरण प्रक्रिया को उचित भेदभाव रहित वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाना इसके मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तावित अधिनियम में प्रत्येक जनपदवार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों की स्पष्ट परिभाषा तैनातियों के संदर्भ में निर्धारित की गयी है। जैसे ऐसे कार्मिक जिनकी तैनाती जनपद मुख्यालय तहसील मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय तथा नगर निगम/नगर पालिका परिषद नगर पंचायत मुख्यालय पर की जाती है और तीसरा ऐसे कार्मिक जिनकी तैनाती केवल जनपद मुख्यालय पर की जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक तैनाती कार्मिकों का दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट का प्राविधान किया गया है तथा 55 वर्ष से अधिक आयु, गम्भीर रूप से बीमार, विकलांग कार्मिकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा गम्भीर रोग तथा विकलांग कर्मी की स्पष्ट रूप से परिभाषा/मानक निर्धारित कर दी गयी है। दूसरा दुर्गम क्षेत्र में

4 वर्ष से अधिक तैनात कार्मिको का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण का प्राविधान किया गया है और तीसरा सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राविधान किया गया है और इस स्थानान्तरण की प्रक्रिया सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रो के कार्य स्थलों की पूरे प्रदेश की सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन किया जायेगा। सभी कार्मिको द्वारा सुगम एवं दुर्गम स्थानों पर की गयी सेवा का वेबसाइट पर प्रकाशन किया जायेगा। स्थानान्तण के पात्र कार्मिको को 10 स्थानों के वविकल्प प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गयी है तथा यह प्राथमिकता क्रम में विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा और जिन कार्मिको को विकल्प के आधार पर इच्छुक स्थान न दिया जा सके, उनका प्राथमिकता क्रम मे, अवशेष रिक्तियों के क्रम मे स्थानान्तरण किया जायेगा एव स्थानान्तण हेतु साफ्टवेयर विकसित करके सम्पूर्ण प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत होगी और समस्त विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

('वेल' में खडे सभी माननीय सदस्य बैनर लहराते हुये नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम अनुपूरक मांगो का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मै आपकी आंज्ञा से वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम अनुपूरक मांगे 1636.46 करोड की धनराशि सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जाएं।

(प्रतियां वितरित की गई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011(क्रमागत)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ स्थानान्तरण की प्रक्रिया मे बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, इसमें स्थानान्तरण पात्र कार्मिकों की सूची में से प्राथमिकता क्रम में विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण पर विचार

किया जायेगा। मान्यवर, जिन कार्मिकों को विकल्प के आधार पर इच्छुक स्थान न दिया जा सके, उनका प्राथमिकता क्रम में अवशेष रिक्तियों के क्रम में स्थानान्तरण किया जायेगा। मान्यवर, स्थानान्तरण के लिए पारदर्शिता प्रक्रिया निर्धारित हो इसलिए इसमें साफ्टवेयर विकसित करके सम्पूर्ण प्रक्रिया कम्प्यूट्रीकृत की जाने वाली है। श्रीमन्, दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती हेतु विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था इसके अन्तर्गत की गई है, दुर्गम क्षेत्र में तैनात किये गये कार्मिकों को निश्चित अवधि के पश्चात् स्वतः ही कार्यमुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, प्रथम नियुक्ति दुर्गम क्षेत्र में तैनात करने का प्राविधान इसके अन्तर्गत किया गया है। श्रीमन्, पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती करने का प्राविधान किया गया है और प्रशासनिक आधार पर गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि शिकायतों की जाँच के पश्चात् एवं आवश्यक पुष्टि के पश्चात् इसके स्थानान्तरण की व्यवस्था इसके अन्तर्गत की गई है। मान्यवर, स्थानान्तरण समितियों और तैनाती स्थल का चिन्हीकरण भी इसके अन्तर्गत किया गया है और जिसके माध्यम से समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की गृह जनपद में तैनाती नहीं दी जायेगी, किन्तु समूह 'ग' के लिपकीय एवं अप्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के गृह स्थान को छोड़कर गृह जनपद में तैनाती अनुमन्य होगी। मान्यवर, स्थानान्तरण प्रक्रिया के लिए समय–सारणी भी निर्धारित की गई है। सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन 1 अप्रैल तक कर लिया जायेगा। इसके साथ ही साथ प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने की तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है, अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गई है, अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है और इसी तरह से अन्य आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 मई है, स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि 25 मई से 05 जून निर्धारित की गई है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि 10 जून है और इस तरह से कुल मिलाकर यह समयबद्ध तरीके से स्थानान्तरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए यह विधेयक सम्मानित सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे मामले जो अप्रत्याशित रूप से सामने आयेंगे अथवा स्थानान्तरण नीति के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आये तो उसके निवारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, वह निर्णय लेगी और ऐसे मामले में विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकेगा, इस तरह से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो शिकायतें समय–समय पर मिलती रहती हैं, उन शिकायतों का निराकरण हो सके और पारदर्शी तरीके से स्थानान्तरण हो सके, इसके लिए विधिवत् विधेयक लाने की आवश्यकता थी और इस ऐतिहासिक काम के लिए इसे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय राज्य है। मान्यवर, यह हमारे लिये पहले से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के 10 वर्षों तक यहाँ के कर्मचारियों के लिए कोई प्रभावी स्थानान्तरण नीति नहीं थी, लेकिन देर से सही, उत्तराखण्ड की पर्वतीय क्षेत्रों की जनता की समस्याओं को देखते हुये, उस 10 जनपदों की दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुये सरकार ने देर से ही, कम से कम इस बात को समझा, परेशानियों को समझा और इस विधेयक को लाई। मान्यवर, आज चाहे वह हमारे विद्यालय हों, चाहे वह अस्पताल हों, चाहे वह अन्य हमारे राजकीय संस्थान हो, आज भी वहां पर परिस्थितियां बहुत खराब हैं, इसका मुख्य कारण एक स्पष्ट पारदर्शी स्थानान्तरण नीति का नहीं होना था। मान्यवर,मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद तो देना चाहता हूँ कि वह 10 वर्षों के बाद सही स्थानान्तरण नीति, स्थानान्तरण विधेयक एक कानून के रूप में कानून लायी है। मान्यवर, इससे बाध्यता होगी, उन तमाम लोगों के लिए जो सुगम एवं अति सुगम स्थानों में जिनकी जिंदगी सेवा करते हुए निकल जाती थी और दुर्गम क्षेत्र आज भी खाली के खाली रह जाते थे। मान्यवर, इसका उदाहरण उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के सारे अस्पताल आज भी चिकित्सक विहीन हैं, वहीं पर दूसरी ओर जो सुविधाजनक स्थान है, बड़े स्थान हैं और अच्छे स्थान हैं, वहां पर मानक से कई अधिक चिकित्सक कार्यरत् हैं, मान्यवर, बहुत सारे हमारे विद्यालय चाहे वह हल्द्वानी के हो, हरिद्वार के हों, देहरादून के हों। मान्यवर, इन 10 वर्षों तक में शासन और सरकार मिल करके जनता को छलती रही उन सारे कर्मचारियों का सहयोग करती रही, किस रूप में, किस लालच में, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मान्यवर, आखिरकार आप विधेयक लाये हैं और मैंने इसको पढ़ा है और मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें अभी कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। क्योंकि जिन मानकों के आधार पर आपने सुगम और दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण इसमें किया है वह पूरी तरह से सही नहीं हैं। इस विधेयक में आपने पूरे पर्वतीय क्षेत्रों की तहसीलों और विकास खण्डों को सुगम मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिये जनपद अल्मोड़ा का ताड़ीखेत विकास खण्ड है, चौखुटिया विकास खण्ड है, द्वाराहाट विकास खण्ड है, इनका कस्बाई क्षेत्र जो बाजार से लगा हुआ है और जो नगर पंचायत क्षेत्र का जो एरिया है, यह निश्चित रूप से सुगम माना जा सकता है, लेकिन उसकी पैरिफेरी का एरिया जो दो किलोमीटर और चार किलोमीटर के बाद का एरिया, पूरे

उत्तराखण्ड का इलाका, जितनी भी तहसीलें आपने इसमें चिन्हांकित की हैं, वह सही तरीके से सही नहीं हैं। फिर से इस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है, यह मुख्य बिन्दु है। मान्यवर, दूसरा बिन्दु पूरे सेवा काल में किसी कर्मचारी की सेवा काल की अवधि चाहे वह 35 साल सेवा करता है, 30 साल सेवा करता है तो उसको पांच-पांच वर्ष केवल सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र भेज देने से पूरे उत्तराखण्ड के पहाड़ की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसमें सुगम, अतिसुगम, दुर्गम और अतिदुर्गम चार कैटेगिरियों में इसे डिफाईन करके या इससे भी और अच्छे ढंग से कुछ और सोचा जा सकता है तो सोचना चाहिए, ताकि सुगम और दुर्गम में पांच-पांच वर्ष तक सभी को एक साथ नहीं सकते चूंकि तीन वर्षों एवं पांच वर्षों में उसका स्थानान्तरण हो सकता है, यदि इसमें चार कैटेगरी बनेगी और उसकी सेवा की पूरी अवधि को इनसे डिवाईड किया जाय तो बेहतर होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किये जाने की नितांत आवश्यकता है। चूंकि यदि एक बार यह लागू हो जायेगा तो जिस तरीके से 10 वर्षों के बाद हमारी सरकार को, हमारे शासन को थोड़ी चेतना आयी कि यह विधेयक लाना बहुत जरूरी है नहीं तो पूरा उत्तराखण्ड खाली हो जायेगा, गांव के गांव चिकित्सकों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों अभाव में खाली हो जायेंगे, इसलिए मेरा आग्रह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करते हुए और इसमें टाईम बाउण्ड होना चाहिए। मान्यवर, एक सप्ताह में, या 10 दिन में इसका निस्तारण किया जाय, क्योंकि इस विधेयक की हमें बहुत आवश्यकता है। यह बहुत अच्छा विधेयक है, लेकिन इसको कुछ संशोधनों के साथ पुनः रखा जाय। इसमें समय निश्चित किया जाय, एक सप्ताह के अन्दर यह सारे कार्य हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटे-छोटे संशोधन हैं, इसलिए इसका मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी ने उठाया है। श्रीमन्, उनकी चिंता दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थापन की है। इस विधेयक के अन्तर्गत जो धारा-5 है, इस धारा-5 में दुर्गम क्षेत्रों को परिभाषित करना एवं उनका चिन्हीकरण करने की व्यवस्था की गयी है और यह चिन्हींकरण जो इसकी धारा-4 है, इसमें तीन कैटेगरियां बनायी गयी है, इसके आधार पर चिन्हीकरण की व्यवस्था सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को करने के लिए इसमें निर्देशित किया गया है। मान्यवर, इस प्रकार से कोशिश है कि दुर्गम क्षेत्रों से जितने भी पद है वह अनिवार्य रूप से भरे जा सकें, ऐसी व्यवस्था इसमें समुचित की जा रही है और यह बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी। मान्यवर, कभी भी आने वाले समय में कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लग पायेगा कि स्थानान्तरण में कोई कदाचार किया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(वेल में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा पत्रादि फाड़कर माननीय अध्यक्ष पीठ की ओर फेंके गये।)

खण्ड 2 से खण्ड 28 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण आदि के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवकों के प्रारम्भ तथा लागू लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह अधिनियमण अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा को छोड़कर अन्य सभी राज्याधीन सेवाओं के लिए लागू होगी और इसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निगम, परिषद् तथा स्थानीय निकायों पर भी लागू कर सकेगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमों में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत;

(घ) 'गम्भीर रोगी' से गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक अभिप्रेत है और गम्भीर रोगों के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0(पोजिटिव), हृदय रोग (बाय पास सर्जरी), किडनी रोग (दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलिसिस पर निर्भर),ट्यूबर कुलोसिस (दोनो फेफड़े खराब हो,) या सार्स (थर्ड स्टेज) सम्मिलित हैं;

(ङ) 'विकलांगता' से ऐसी विकलांगता अभिप्रेत है, जिसमें पूर्ण अन्धापन, दोनों पांव रहित अथवा एक अपूर्ण पांव अथवा लकवा ग्रस्त (एक हाथ या एक पाव) सम्मिलित हैं;

(च) 'सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र' से गम्भीर रोग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अथवा मेडिकल बोर्ड या समकक्ष मेडिकल संस्थान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र तथा विकलांगता के लिए सम्बन्धित अधिनियम मे दिए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(छ) ('स्वस्थता प्रमाण-पत्र') से गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की श्रेणी के कार्मिकों द्वारा उपचाराधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(ज) 'वरिष्ठ कार्मिक' से 55 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु का कार्मिक अभिप्रेत हैं;

(झ) 'सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र' से इस अधिनियम के अधीन जिलेवार ● परिशिष्ट-1,2 एवं 3 मे उल्लिखित सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ञ) 'तैनाती स्थान' अथवा 'तैनाती स्थल' से कार्मिक के स्थानान्तरण हेतु विचार के समय उसकी तैनाती का स्थान/स्थल अभिप्रेत है।

●(देखियें परिशिष्ट तालिका 'क' पृष्ठ संख्या 122-148 पर)

कार्मिकों की पदस्थापना हेतु वर्गीकरण

4 कार्मिकों की पदस्थापना हेतु निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा; अर्थात्‌–

(1) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है;

(2) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय तथा स्थानीय निकाय मुख्यालय पर किए जाने की व्यवस्था है;

(3) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना केवल जनपद मुख्यालय पर किए जाने की व्यवस्था है।

सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन और उसका प्रकटीकरण

5. प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, धारा–4 में उपबन्धित वर्गीकरण के अनुसरण में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य स्थल को स्पष्ट करते हुए चिन्हांकन की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के लिए उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन सहित ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसा प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए आवश्यक हो।

वार्षिक स्थानान्तरण के प्रकार

6 वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे; अर्थात्‌–

(क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण;

(ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण; और

(ग) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

सुगम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक

7 सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे; अर्थात्‌–

(क) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा–10 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा के प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे;

(ख) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 05 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं किन्तु उनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उपरोक्तानुसार रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के प्रतिबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे

परन्तु यह कि सुगम क्षेत्र में कुल सेवाकाल की गणना हेतु एतद्विषयक धारा–3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों में स्पष्ट की गयी सुगम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेंगे;

(ग) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्मिकों को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनके दुर्गम स्थान से अवमुक्त होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख उनके स्थानान्तरण आदेश में भी किया जायेगा;

(घ) निम्न श्रेणियों में आने वाले कार्मिकों को सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी; अर्थात्–

(एक) वरिष्ठ कार्मिक,

(दो) ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और

(तीन) धारा 3 के अधीन गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

8. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात्–

सुगम स्थान से दुर्गम स्थान में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित संवर्ग में दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात् ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 05 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तथा जो "छूट" की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए सम्बन्धित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु चिन्हित किया जायेगा।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

9. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिको की सूची तैयार की जायेगी। सूची तैयार होने के पश्चात् ऐसी सूची, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा सूची के कार्मिको की संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित/परिचालित करते हुए पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहां वे तैनाती के इच्छुक हो, के लिए विकल्प मागे जायेंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिको की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक

10. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे; अर्थात्.–

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिको का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा;

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 04 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्यतः स्थानान्तरित किए जाएंगे। ऐसी गणना करने के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों में दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा।

परन्तु यह कि इस अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा

11. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात्.–

(क) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित संवर्ग में सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा–7 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा तक ही किया

जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिको की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात्–

(ख) ऐसे कार्मिकों को, जो दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष की अधिक अवधि से कार्यरत है अथवा सम्पूर्ण सेवा अवधि में उनकी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र की तैनाती की कुल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में रखते हुए संवर्ग में उपरोक्तानुसार सुगम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

12. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की एक सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची, सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियो तथा कार्मिको की सम्भावित रिक्तियो को प्रकाशित/परिचालित करते हुए स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिको से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिको की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

13. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जायेगी; अर्थात्–

(1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा;

(2) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनात हेतु इच्छुक हों तो वे केवल दुर्गम क्षेत्र में ही एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे पति/पत्नी (यदि दोनों दुर्गम स्थान पर कार्यरत हैं), अन्य कार्मिकों की भांति इस अधिनियम में उल्लिखित शर्ते पूरी करने पर ही स्थानान्तरण के लिए पात्र होंगे;

(3) कार्मिक स्वयं अपनी गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे;

(4) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता, मेडिकल बोर्ड के प्रमाण–पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे; तथा

(5) जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष अथवा उससे कम अवधि अवशेष है, वे कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण के पात्र होंगे।

टिप्पणी- उक्त खण्ड (1) से (5) तक के लिए अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु सुगम/दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं होगी।

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र मांगा जाना

14. उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन–पत्र मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा।

स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारण

15. स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मई की तिथि के आधार पर की जायेगी।

स्थानान्तरण समिति का गठन एवं समिति के दायित्व

16 (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, एफ0आर0डी0सी0 शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

(3) वार्षिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव, आवेदन पत्र एवं विकल्प तथा दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों की रिक्तियों के विवरण सम्बन्धित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। उपरोक्त धारा–9, 12 एवं 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सत्यापित सूची भी स्थानान्तरण समिति के समक्ष रखी जायेगी।

(4) समिति स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक कार्मिक, जिसका विवरण समिति के समक्ष रखा गया है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के आधार पर विचार करके कार्यवृत्त तैयार करेगी, जिसमें स्थानान्तरित होने वाले कार्मिकों को रिक्त आवंटित होने/करने का आधार यथा 'विकल्प', 'स्वयं के अनुरोध', 'चिकित्सा', 'विकलांगता', 'वरिष्ठ कार्मिक' आदि स्पष्टतः अंकित किया जायेगा। समिति अपने कार्यवृत्त में एक अलग सूची में उन कार्मिकों के सम्बन्ध में भी कारण सहित उल्लेख करेगी, जिनका स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार संस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका है।

(5) स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

स्थानान्तरण समिति द्वारा स्थानान्तरण प्रस्तावों पर विचार किया जाना

17. (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण के प्रस्तावों पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्न क्रमानुसार विचार किया जाएगा :–

(क) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :

स्थानान्तरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा; अर्थात्–

सर्वप्रथम स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण सेवा अवधि में सबसे अधिक अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिक से प्रारम्भ किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र की रिक्ति के लिए कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प को स्वीकार किया जायेगा; अर्थात्–

सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order)में एक–एक करके कार्मिकों पर विचार किया जायेगा और विकल्प के अनुसार उपलब्ध रिक्ति उन्हें आवंटित की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि स्थानान्तरण हेतु चिन्हित कार्मिको में से एक से अधिक कार्मिकों ने दुर्गम क्षेत्र की चिन्हित किसी रिक्ति विशेष हेतु समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया है तो ऐसी रिक्ति विकल्प देने वाले कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक को आवंटित की जायेगी, जिसने सुगम क्षेत्र में सबसे कम अवधि की सेवा की हो;

परन्तु यह और कि यदि उक्तानुसार विचार करने के पश्चात् भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हे उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार इच्छित स्थान प्राप्त नही हो सका है अथवा ऐसा कोइ कार्मिक है, जिसने विकल्प नही दिया है तो स्थानान्तरण समिति द्वारा ऐसे अवशेष कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/विन्हीकरण के क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आवंटित कर दी जायेगी।

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण:–

खण्ड (क) के अनिवार्य स्थानान्तरण के पश्चात् अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्नलिखित क्रम मे विचार किया जायेगा:–

(एक) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी, यदि दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु आवेदन करते है तो उन्हें रिक्ति की दशा मे ऐसा स्थान स्थानान्तरण हेतु आवटित किया जायेगा;

(दो) गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान/रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवटित किया जायेगा;

(तीन) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान में रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(चार) जिस कार्मिक की सेवा निवृत्ति में दो वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, ऐसे कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान/रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(पाँच) अन्त में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले कार्मिकों को रिक्ति की दशा में इच्छित स्थान स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा।

(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण:—

स्थानान्तरण समिति द्वारा खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में उल्लिखित स्थानान्तरण पर विचार करने के पश्चात् दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण को निम्नवत् निस्तारित किया जायेगा:—

(एक) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते gq voj kgh Øe (Descending Order) में सूचीबद्ध किया जायेगा;

(दो) उपर्युक्त के अनुसार तैयार की गई सूची में से उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को रिक्ति की स्थिति में ऐच्छिक स्थान आवंटित किया जायेगा;

(तीन) सूची में से दुर्गम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार ऐच्छिक स्थान आवंटित किया जायेगा। इसी क्रम में अन्य कार्मिकों को भी अवरोही क्रम (Descending Order) में ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने पर आवंटित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि सुगम क्षेत्र की किसी रिक्ति विशेष के लिए एक से अधिक कार्मिकों द्वारा समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया जाता है तो ऐसी रिक्ति ऐसे कार्मिक को आवंटित की जायेगी, जिसने दुर्गम क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा की हो;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्तानुसार विचार करने के पश्चात भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये विकल्प के अनुसार रिक्त स्थान उपलब्ध न हो सके, तो स्थानान्तरण समिति द्वारा अवशेष कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आवंटित कर दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण समिति कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करते हुए निर्णय लेगी :–

(क) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;

(ख) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर–प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। "गृह स्थान" से ऐसा गाँव/हल्का/तहसील आदि अभिप्रेत है, जिसका वह मूल निवासी है;

(ग) प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा;

(घ) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे।

(घ) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होंगे।

नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरण पर तैनाती की प्रक्रिया

18. वार्षिक/सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरणों पर तैनाती की प्रक्रिया निम्नवत् होगी.–

(1) प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जायेगी;

(2) पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती धारा–7 के खण्ड (घ) के प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि दुर्गम क्षेत्र में पदोन्नति का पद विद्यमान/रिक्त नहीं है तो पदोन्नति के बाद सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष तैनात किया जा सकेगा;

(3) दो कार्मिकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा;

(4) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर जाँच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त, जहाँ सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाय, ऐसे कार्मिकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से शिकायतों के आधार पर प्रेरित होकर अथवा आकस्मिक रूप से नहीं किये जायेंगे और ऐसे स्थानान्तरणों के आदेश–पत्र में प्रशासनिक आधार अंकित किया जाना आवश्यक होगा;

(5) उपरोक्त खण्ड(1) से (4) के अनुसार की जाने वाली तैनाती/स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण से पृथक एवं भिन्न अवधि में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे और इसके लिए प्रकरण को स्थानान्तरण समिति के समक्ष ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी ;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर सक्षम अधिकारी को एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

दुर्गम क्षेत्र में तैनाती प्रोन्नति के लिए अनिवार्यता

19. (1) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया गया हो ;

(2) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2015 तक की अवधि को संक्रमणकाल मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा कार्मिक यदि धारा–7 के खण्ड (घ) से आच्छादित होता हो तो उसे दुर्गम क्षेत्र में तैनात किए जाने अथवा बंधपत्र देने की बाध्यता न होगी ;

परन्तु यह और कि यदि प्रथम पदोन्नति के समय बंधपत्र देकर दुर्गम क्षेत्र में तैनात होने वाला कार्मिक बंधपत्र अनुसार निर्दिष्ट अवधि दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण कर लेने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु कुल अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेता है तो ऐसे कार्मिक के लिए द्वितीय पदोन्नति प्राप्त करने हेतु द्वितीय पदोन्नति के लिए कुल अर्हकारी सेवा की भी आधी अवधि दुर्गम क्षेत्र में सेवा की अनिवार्यता सम्बन्धी प्राविधान बाध्यकारी नहीं होगा; अर्थात् प्रथम बंधपत्र की अवधि के उपरान्त ऐसा कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में, जितनी भी सेवा करने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु अन्य मानक पूर्ण करता हो तो उसे द्वितीय पदोन्नति हेतु पात्र माना जायेगा ;

(3) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति हेतु दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अर्हकारी सेवा की व्यवस्था पूर्ण रूप से 1.07.2015 से प्रभावी होगी तथा इस तिथि से प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत करना अनिवार्य होगा, तभी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। सेवा नियमावलियों में उक्त आशय का प्राविधान अलग से किया जाएगा।

(4) जो कार्मिक, अपने सेवा–काल में दुर्गम क्षेत्र में तैनात नहीं हो सके हैं, वे भविष्य में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए धारा 13 का खण्ड (1) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में 20 तैनाती पर दिया जाने वाला प्रोत्साहन

20. दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की दशा में कार्मिक को प्रोत्साहन स्वरूप निम्न लाभ अनुमन्य होंगे ; अर्थात्:–

(1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की दशा में दुर्गम क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि तक ऐसे कार्मिक को अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर अनुमन्य आवास किराया भत्ता देय होगा;

परन्तु यदि ऐसे कार्मिक को सुगम क्षेत्र में तैनाती के स्थान पर शासकीय आवास आवंटित था तो उसे शासकीय आवास रिक्त करना होगा और उसे उक्तानुसार आवास किराया भत्ता अनुमन्य होगा ;

परन्तु यह और कि यदि ऐसे कार्मिक को दुर्गम क्षेत्र में उसके तैनाती स्थल पर शासकीय आवास आवंटित होता है तो उसे सुगम क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र में मिलने वाले आवास किराये भत्ते के अन्तर की धनराशि आवास किराया प्रतिकर भत्ता के रूप में देय होगी।

(2) यदि कार्मिक द्वारा प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा के आधे भाग से अधिक अवधि दुर्गम स्थान पर व्यतीत की गयी हो तो प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा के उद्देश्य से इस अधिक भाग के प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा

अवधि को 1½ वर्ष के समतुल्य आगणित किया जायेगा, किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के पूर्व से ही दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को इस अतिरिक्त अवधि की गणना का लाभ संक्रमणकाल की अवधि अर्थात् इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.6.2015 तक की अवधि में की जाने वाली पदोन्नतियों के लिए अनुमन्य न होगा और 01.07.2015 के उपरान्त घटित होने वाली अतिरिक्त अवधि को ही उक्त गणना हेतु विचार किया जायेगा। सेवा नियमावलियों में उक्त आशय का प्राविधान किया जायेगा ।

स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना

21. (1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ;

परन्तु यह कि जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है, वहां समूह 'ख' के अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किए जायेंगे ;

(2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिकों, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति (जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में) द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे

(3) स्थानान्तरण हेतु धारा–23 में उल्लिखित समय–सारिणी के अनुसार इंगित तिथि के पश्चात् समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किये जा सकेंगे तथा समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु अधिकृत सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना

22. (1) स्थानान्तरण आदेशों में यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात् उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि(Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे;

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिको के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी

23. प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय-सारणी होगी; अर्थात्-

(1) सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाना- 1 अप्रैल

(2) प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना- 15 अप्रैल

(3) अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिको से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि- 20 अप्रैल

(4) अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि- 30 अप्रैल

(5) उक्त 3 व 4 में विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि– 15 मई

(6) प्राप्त विकल्पों/आवेदन–पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना– 20 मई

(7) स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि– 25 मई से 05 जून

(8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि– 10 जून

(9) निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को उत्तराखण्ड स्थानान्तरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना– आदेश निर्गत होने के 2 दिन के अन्दर

(10) स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम स्थानान्तरण तिथि– आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर

(11) स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की स्थानान्तरण अन्तिम तिथि– आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर

स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लंघन की दशा में दंड

24 (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते है तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा;

(2) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 " के सगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कारवाई की जायेगी ;

(3) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश मे विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

कार्यभार टिप्पणी

25. स्थानान्तरित समूह 'क' एव 'ख' के अधिकारी द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व उनके पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल मे रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

संगत नियमों का स्थानान्तरण आदेशों में उल्लिखित किया जाना

26. इस अधिनियम के अनुसरण मे किये जाने वाले "स्थानान्तरण आदेश" में सम्बन्धित कार्मिक का किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पश्चात् उन्हें उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अधिनियमों के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण

27. इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित मे कोई विचलन जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें:-

(क) प्रमुख सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त;

(ख) प्रमुख सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त; तथा

(ग) प्रमुख सचिव, कार्मिक सदस्य होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री

के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा। यह समिति इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो अधिनियम में सम्मिलित नहीं है, के सम्बन्ध में भी विचार करके अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

स्थानान्तरण के सम्बन्धित अभिलेखों का रखा जाना

28. इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज एवं समस्त अभिलेख अत्यन्त सावधानी पूर्वक संकलित करते हुए व्यवस्थित रूप में एक अलग पत्रावली में रखे जायेंगे और इन्हें प्रत्येक समय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण हेतु तैयार रखा जायेगा। इस कार्य को सम्पादित किए जाने का दायित्व स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा। यह पत्रावली कार्मिकों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक कार्यालय दिवस पर उपलब्ध होगी तथा किसी कार्मिक को यदि पत्रावली में से किसी प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसे 2 रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–28 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विधेयक को इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में भारतवर्ष के अन्दर जो सुसंगत व्यवस्थाएं चल रही है, उसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत परिभाषित लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में अभियोजन की प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान करना है। भ्रष्ट आचरण के मामलों का संज्ञान होने पर अभियोजित व्यक्तियों के विरूद्ध संस्थित अभियोजनों में त्वरित सुनवाई एवं निस्तारण करने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के उद्देश्य से यह उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमन्, इसमें जो महत्वपूर्ण प्राविधान किया जा रहा है, वह भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गई सम्पत्ति को अधिकृत करना, जब्त करना है। प्रस्तावित अधिनियम से ऐसे व्यक्ति आच्छादित होंगे जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत लोक सेवक परिभाषित हैं तथा जिन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत सम्पत्ति अर्जित की हो। इसमें मुख्य रूप से जो प्राविधान किया जा रहा है, वह विशेष न्यायालयों की स्थापना का किया जा रहा है। श्रीमन्, अपराध के त्वरित विचारण हेतु राज्य सरकार यथावश्यक संख्या में विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी। विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश/प्राधिकृत प्राधिकारी के पद पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे सदस्य की नियुक्ति की जायेगी जो राज्य में सत्र न्यायाधीश अथवा अपर सत्र न्यायाधीश हो अथवा रहा हो। श्रीमन्, विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान एवं विचारण की प्रक्रिया भी इसके अन्तर्गत निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार लोक पद धारण करने वाले या कर चुके ऐसे व्यक्ति की घोषणा करेगी जिसके द्वारा राज्य सरकार की राय में भ्रष्ट आचरण से सम्पत्ति अर्जित की गई हो। उक्त घोषणा के क्रम में विशेष न्यायालय में अभियोजन संस्थित किया जायेगा। यदि घोषणा से सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण का प्रकरण पूर्व से ही किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो तो वह प्रकरण विशेष न्यायालय को अन्तरित हो जायेगा। विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण से सम्बन्धित मुख्य आरोपी, षडयंत्रकर्ता तथा दुष्प्रेरक के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। विशेष न्यायालय यथासम्भव एक वर्ष के अन्दर अभियोजन का निस्तारण करेगा। यह व्यवस्था इसके अन्तर्गत कर दी गयी है।

जो नई व्यवस्था इसमें की है, यह भ्रष्ट आचरण से अर्जित सम्पत्ति का जब्त होने के सम्बन्ध में है। जिसमें यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार की ओर से विशेष न्यायालय में भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गयी सम्पत्ति के अधिहरण हेतु आवेदन किया जायेगा। अधिहरण सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत होने पर विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त, जिसके पास

प्रश्नगत सम्पत्ति हो तथा यदि सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की गयी हो तो उस व्यक्ति को भी 30 दिन का नोटिस देकर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा कि क्यों न प्रश्नगत प्रकरण सम्पत्ति को अपराध के माध्यम से अर्जित किया जाना घोषित किया जाय और उसे राज्य सरकार में अधिहृत कर लिया जाय। सुनवाई के उपरान्त विशेष न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष अभिलिखित करते हुये यह घोषित किया जायेगा कि प्रश्नगत सम्पत्ति अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन सभी ऋण भार से मुक्त राज्य सरकार में अधिहृत मानी जायेगी। यदि अभियुक्त द्वारा अधिहृत सम्पत्ति का बाजार मूल्य न्यायालय में जमा कर दिया जाता है तो सम्पत्ति का अधिहरण नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ सम्पत्ति के अधिहरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण न्यायालय द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत करने की तिथि से छः माह के अन्दर कर दिया जायेगा। इसके साथ ही विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार दिया गया है और वह अपील माननीय उच्च न्यायालय में 30 दिन के अन्द की जा सकेगी।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ अधिहृत सम्पत्ति की वापसी का प्राविधान भी किया गया है, यदि विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध योजित अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है और विपक्षी को दोषमुक्त घोषित किया जाता है तो अधिहृत सम्पत्ति विपक्षी को वापस कर दी जायेगी। इस प्रकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के असंगत होने की स्थिति में इस अधि ाानियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

श्रीमन्, इस प्रकार से यह विधेयक आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, क्योंकि आज तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें हम भ्रष्टाचार के लिये अलग से न्यायालय की सुनवाई और त्वरित न्याय देने की प्रक्रिया को कर पाते। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 को सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक यहाँ पर लाया गया है। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि (व्यवधान) पिछले दो दिन से यह सत्र अव्यवस्थित है, अगर सचमुच सरकार की नीयत भ्रष्टाचार को खत्म करने की है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से इस बात को सोचें कि (व्यवधान) जिन लोगों ने आय से अधिक सम्पत्ति

अर्जित की है, उसे सरकार में अधिहरण होगा। निश्चित रूप से यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मुँह से यह नहीं कहेगा कि मैं बेईमान हूँ और सरकार ने इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि यह कैसे पता लगाया जायेगा कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है या नहीं और किस प्रकार कार्यवाही उसके खिलाफ की जायेगी। मान्यवर, मैने अभी नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, आपने देखा होगा कि अभी राष्ट्र के लिये अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, और माननीय मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी ने इस बारे में पहल की है, मैं इसके लिये उनकी प्रशंसा करता हूँ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।)

मान्यवर, मैंने नियम–310 के अन्तर्गत यह सवाल लगाया था और सरकार ने उसे नहीं सुना। मेरा कहना है कि यदि अन्ना हजारे जी देश के अन्दर इस विषय पर आन्दोलन कर सकते है और हमारे मुख्यमंत्री जी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है, जब हम स्वयं में ईमानदार होंगे। इसलिये सबसे पहले यह विध ोयक इस बात की शुरूवात करता है कि मेरी सम्पत्ति का ब्यौरा मैं दूँगा और मेरी सम्पत्ति की जांच कर ली जाय। लेकिन दुर्भाग्य है कि नियम–310 के अन्तर्गत मेरी सूचना को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और न ही इस पर चर्चा कराई। मान्यवर, इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस गम्भीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे शुरू किया है और उन्होंने एक आदेश भी दिया था कि सभी मंत्रियों और अधिकारियो की सम्पत्तियों का ब्यौरा दिया जायेगा। इसके साथ–साथ उन्होंने यह भी कहा था कि विधायकों की सम्पत्ति का ब्यौरा देने के साथ उसकी जांच भी कराई जायेगी। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इसी विषय पर मेरी नियम–310 की सूचना को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है, यदि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सभी विधायक इस बात को गम्भीरता से ले कि हमें खुद से भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरूवात की जाय और सभ विधायकों की सम्पत्तियों की जांच कराई जाय, धन्यवाद।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, सरकार इस विधेयक को ला रही है और इस समय यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सदन अव्यवस्थित है, उस सदन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून को लाकर सरकार क्या प्रदर्शित करना चाहती है। मान्यवर, एक तरफ कांग्रेस सरकार के समय के 56 घोटाले है।......

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साढ़े चार वर्ष के शासनकाल के घोटाले माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक लाया जरूर जा रहा है। हमारे प्रदेश में आज भी

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए लोकायुक्त है, अन्य जांच एजेन्सीज हैं। क्या इस अधिनियम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी इसके दायरे में आएगें, यह सरकार स्पष्ट करे। नम्बर-2 इस विधेयक की सार्थकता तब साबित होती है जब सदन को व्यवस्थित करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के जो मामले खुले है प्रदेश आज सदन की ओर देख रहा है। यह आखिरी सत्र है मान्यवर, इन सभी विषयों पर सी0बी0आई0 जाँच के आदेश सिटुर्जिया घोटाला, दवा घोटाला, कांग्रेस के 56 घोटाले माननीय अध्यक्ष जी, इन पर भी जांच के आदेश आपके माध्यम से दिये जाने चाहिए। दूसरा चूँकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को दायरे में नहीं लिया गया है और भी बहुत सारी कमियाँ इस विधेयक में दिखायी दे रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए इसको प्रवर समिति को सौंपे जाने की अनुशंसा करता हूँ मान्यवर।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, ये विधेयक जिसमें विशेष न्यायालय के गठन का प्रस्ताव किया गया है श्रीमन्, ये उस भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए किया गया है ताकि भ्रष्टाचार के लगे हुए आरोपों का त्वरित निस्तारण किया जा सके और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इसमें सुसंगत धाराएं समायोजित की गयी हैं। मेरा अनुरोध है माननीय सदस्यों ने इसकी निश्चित रूप से प्रशंसा की है मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो सुसंगत धाराएं दी गयी हैं उनके माध्यम से हम पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने में हम कामयाब होंगे। धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, लेकिन घोर व्यवधान के कारण कुछ भी सुनायी नहीं दिया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है।

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी अपने स्थान पर वापस चले गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड 2 से खण्ड 26 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..........वर्ष 2011}

अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए तथा अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति के अधिहरण (जब्ती) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'अधिनियम' से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ख) 'प्राधिकृत पदाधिकारी' से उत्तराखण्ड उच्च न्यायिक सेवा का ऐसा कोई सेवारत अधिकारी अभिप्रेत है, जो सत्र न्यायाधीश/अपर, सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो और जिसे धारा—13 के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जाय;

(ग) 'संहिता' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत है;

(घ) 'घोषणा' से अपराध के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा अभिप्रेत है, जो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में धारा—5 के अधीन की गई हो;

(ङ) 'अपराध' से आपराधिक अवचार का अपराध, जो अधिनियम की धारा—13 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या भारतीय दण्ड संहिता के किसी उपबन्ध के साथ संयुक्त रूप से लागू किये जाने योग्य हो, अभिप्रेत है;

(ङ) 'अपराध' से आपराधिक अवचार का अपराध, जो अधिनियम की धारा–13 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या भारतीय दण्ड संहिता के किसी उपबन्ध के साथ संयुक्त रूप से लागू किये जाने योग्य हो, अभिप्रेत है;

(च) 'विशेष न्यायालय' से धारा–3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) शब्द और पद जिनका इस नियमावली में प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें संहिता या अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो संहिता या अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्याय दो

विशेष न्यायालयों की स्थापना

विशेष न्यायालयों की स्थापना

3. (1) अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथावश्यक संख्या में न्यायालयों की स्थापना करेगी, जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जायेगा।

(2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट न्यायधीश द्वारा की जायेगी।

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नाम–निर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश न हो या न रहा हो।

विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान

4. विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा, जो उसके समक्ष संस्थित किये जाए या धारा–10 के अधीन उसे अंतरित किये जाए।

इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा

5. (1) यदि राज्य सरकार की राय में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो कि उत्तराखण्ड राज्य में लोक पद धारण करने वाले या धारण कर चुके किसी व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा–2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत लोक–सेवक हो, द्वारा अभिकथित अपराध किया गया हो तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें उसकी उपर्युक्त राय हो, उस आशय की घोषणा करेगी।

(2) ऐसी घोषणा को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

घोषणा का प्रभाव

6. (1) ऐसी घोषणा की जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध की बाबत् कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जायेगा।

(2) जहाँ धारा–5 के अधीन की गई घोषणा उस अपराध से सम्बद्ध हो, जिसकी बाबत पहले ही अभियोजन संस्थित किय जा चुका हो तथा इससे सम्बन्धित कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाजय से भिन्न किसी न्यायाजय में लम्बित हो, वहाँ इस अधिनियम के अनुसार, अपराध के विचारण के लिए ऐसी कार्यवाही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में अन्तरित हो जायेगी।

अपराधों के विचारण के सम्बन्ध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

7. विशेष न्यायाजय को, उस अपराध के किए जाने के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता होगी, जिसकी बाबत् धारा–5 के अधीन मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकर्ता, या दुष्प्रेरक के रूप में घोषणा की गई हो तथा उन सभी का, उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण संहिता के अनुसार एक ही विचारण में किया जा सकता है।

विशेष न्यायालयों द्वारा की प्रक्रिया और शक्ति

8. (1) ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायाजय, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) इस अधिनियम में स्पष्टतः यथा उपबन्धित के सिवाय, संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संख्या 49 वर्ष 1988) के उपबन्ध, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों, विशेष न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होंगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक माने जाएंगे।

(3) विशेष न्यायालय, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि ठहराए जाने पर, उसे उस अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के लिए विधि द्वारा, जो भी दण्ड प्राधिकृत हो, उसका दण्डादेश पारित कर सकेगा।

विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील

9. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में तथ्यों एवं विधि दोनों आधार पर, अपील की जायेगी।

(2) यथा उपर्युक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण संस्थित नहीं होगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर की जाएगी;

परन्तु यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका समाधान हो जाता हो कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा।

मामलों का अन्तरण

10. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के होते हुए भी, उच्च न्यायालय नैनीताल, मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अन्तरित कर सकेगा।

किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना

11. (1) विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी प्रयोजन से तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो।

(2) विशेष न्यायालय मामले के विचारण को, यथास्थिति, इसके संस्थित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निस्तारित करने का प्रयास करेगा।

अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्यवाई किया जाना

12. विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए धारा-3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्यवाई कर सकेगा।

अध्याय तीन

सम्पत्ति का अधिहरण

अधिहरण के लिए आवेदन

13. (1) जहाँ प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार को विश्वास करने का कारण हो कि लोक (सार्वजनिक) पद धारण कर चुके या धारण कर रहे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह लोक सेवक हो या रहा हो तो विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन लोक अभियोजक को प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष उस धन और अन्य सम्पत्ति, जो राज्य सरकार के विश्वास में उक्त व्यक्ति द्वारा अपराध के माध्यम से अधिप्राप्त किया गया हो, के अधिहरण हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–

(क) एक या अधिक शपथ–पत्रों के साथ होगा, जिसमें उन आधारों का उल्लेख होगा, जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की रकम और अन्य सम्पत्ति का मूल्य, जिसके लिए यह विश्वास किया गया हो कि अपराध के माध्यम से अधिप्राप्त किया गया है; और

(ख) ऐसे किसी धन एवं अन्य सम्पत्ति की तत्समय अवस्थिति के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो इस सन्दर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियां भी दी जाएगी।

अधिहरण के लिए नोटिस

14. (1) इस अधिनियम की धारा–13 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत पदाधिकारी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट समय, जो सामान्यतः तीस दिनों से कम की नहीं होगी, के अन्तर्गत आकर अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों का वह स्रोत, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या सम्पत्ति अर्जित की है, जिस साक्ष्य पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत सूचना और विशिष्टियाँ देने और यह कारण बताने का कि क्यों नहीं ऐसा सारा या कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किया जाना घोषित किया जाय तथा क्यों नही

उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिहृत कर लिया जाय, से सम्बन्धित नोटिस उस व्यक्ति (इसमें इसके बाद प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट) को तामील करेगा, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया हो।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई नोटिस में किसी धन या सम्पत्ति या दोनों को, ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिदेश हो, वहाँ नोटिस की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जायेगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अभिलिखित कराए गए साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियाँ विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किए जाने योग्य होगा;

परन्तु यह कि ऐसा खण्डन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष के अवधारण और न्याय निर्णयन के विचारण तक सीमित होगा।

विशिष्ट मामलों में सम्पत्ति का अधिहरण

15. (1) धारा–14 के अधीन जारी कारण पृच्छा नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति (तथा यदि प्रभावित व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति को भी) को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, प्राधिकृत पदाधिकारी, आदेश द्वारा अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई अन्य धन या सम्पत्ति विधि विरूद्व ढंग से अर्जित की गई है।

(2) जहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता हो कि कारण–पृच्छा नोटिस में निर्दिष्ट धन या सम्पत्ति या दोनो का कुछ अंश अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए है किन्तु ऐसे धन या सम्पत्ति को विनिर्दिष्टतः चिन्हित करने में समर्थ न होता हो, वहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा यह विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार, वह धन या सम्पत्ति या दोनो अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए है और उपधारा (1) के अधीन तद्नुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(3) जहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता हो कि कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है, वहाँ वह घोषित करेगा कि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, सभी ऋणभार से मुक्त राज्य सरकार को अधिहृत माने जायेंगे;

परन्तु यह कि यदि अधिहृत सम्पत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत पदाधिकारी के पास जमा कर दिया जाता हो तो सम्पत्ति का अधिहरण नहीं किया जायेगा।

(4) जहाँ इस अधिनियम के अधीन, किसी कम्पनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो, वहाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1956) में अथवा कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कम्पनी तुरन्त ऐसे शेयर का अंतरिती के रूप में राज्य सरकार को रजिस्टर में दर्ज करेगी।

(5) इस अध्याय के अधीन धन या सम्पत्ति या दोनों का अधिहरण (जब्ती) की प्रत्येक कार्यवाही का निष्पादन धारा–14 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के अन्तर्गत कर दिया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश, धारा–17 के अधीन अपील, यदि कोई हो, में पारित आदेश के अध्यधीन, अन्तिम होगा और किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

अन्तरण का अकृत और शून्य होना

16. जहाँ धारा–14 के अधीन, नोटिस जारी किए जाने के बाद, उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का किसी भी तरीके से अन्तरण किया जाता हो, वहाँ ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ, शून्य होगा और यदि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों धारा–15 के अधीन बाद में राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो तो ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों का अन्तरण अकृत और शून्य माना जायेगा।

अपील

17. (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसके विरूद्ध अपील किया जाता हो।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को, जो वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई कोई अपील किए जाने की तारीख से अधिमानतः छः माह की अवधि के भीतर निस्तारित कर दी जाएगी और यदि किसी अपील में कोई स्थगन आदेश पारित किया जाता हो तो अपील के निस्तारण की विहित अवधि के बाद वह लागू नहीं रह जायेगी।

कब्जे में लेने की शक्ति

18. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई धन या सम्पत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिहृत किया गया हो, वहां सम्बद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ–साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या सम्पत्ति या दोनों हो, आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के तीस दिनों के भीतर उसे सम्बद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अभ्यर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे;

परन्तु यह कि इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तथा अपना समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत सम्पत्ति में निवास कर रहा है, प्राधिकृत पदाधिकारी उसे उससे तत्काल बेकब्जा करने के बदले ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए राज्य सरकार को बाजार दर पर किराये का भुगतान कर उसका कब्जा रखने की अनुमति दे सकेगा और उसके बाद वह व्यक्ति उस सम्पत्ति का कब्जा सौंप देगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का पालन करना अस्वीकार करता हो या पालन करने में विफल रहता हो तो प्राधिकृत पदाधिकारी उस सम्पत्ति को कब्जे में ले सकेगा और तत्प्रयोजनार्थ, यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन से, सहायता के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना, उस पदाधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा।

अधिहृत (जब्त) धन और सम्पत्ति की वापसी

19. जहाँ, धारा–15 के अधीन किए गए अधिहरण आदेश को अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपान्तरित या निष्प्रभावी कर दिया जाता हो या जहाँ प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता हो, वहाँ धन या सम्पत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से सम्पत्ति वापस करना सम्भव न हो तो उस व्यक्ति को इस प्रकार अधिहृत, सम्पत्ति की कीमत के साथ–साथ अधिहरण की तारीख से पांच प्रतिशत की दर से परिगणित ब्याज सहित धन का भुगतान किया जाएगा।

अध्याय चार

प्रकीर्ण

विवरण में त्रुटि के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना

20. इस अधिनियम के अधीन जारी या तामील कोई नोटिस, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश, उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, यदि तथा उल्लिखित विवरण से ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति की पहचान करने योग्य हो।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना

21. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करने वाला; और इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी लोक–सेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अतिरिक्त संस्थित की जा सकती हो, विवर्जित नहीं करेगी।

अन्य कार्यवाहियों का वर्जन

22. धारा–9 और 17 में यथा उपबन्धित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 के अधीन किसी धन या सम्पत्ति या दोनों को अधिहृत(जब्त) किए जाने के आदेश की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या विधिक कार्यवाही चलाने योग्य नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षा

23. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या कोई अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

24. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, यथावश्यक नियमावली, यदि कोई हो, बना सकेगी।

धारा–3 के अधीन अधिसूचनाओं को तथा धारा धारा–5 के अधीन घोषणाओं को पटल पर रखना

25. धारा–3 की उपधारा(1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना तथा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, जारी किए जाने या बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

अध्यारोही प्रभाव

26. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी असंगता की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 26 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करताह हूँ कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।...........

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं एक ऐसा विधेयक सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी अत्यावश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि आम जनसामान्य को जिन महत्वपूर्ण विषयों पर दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। इन विषयों को ले करके एक पारदर्शी व्यवस्था बने, जिससे जिम्मेदारी तय हो सके। सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नागरिक को चिन्हित सेवायें निश्चित समय में प्राप्त करने का अधिकार होगा। नागरिकों को जिन सेवाओं को निश्चित समय में प्राप्त करने का अधिकार होगा उनका चिन्हीकरण किया जायेगा। यह भी निश्चित किया जायेगा कि यह सेवायें कितने समय में उपलब्ध कराई जानी हैं। यह सेवायें हैं जैसे– राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, खतौनी एवं अन्य राजस्व अभिलेख, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण, नक्शा स्वीकृत करना, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, निर्विवाद नामान्तरण, वाहनों का पंजीकरण तथा जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र। ये 14 तरह के प्रमाण–पत्र समयबद्ध रूप से आम जनसामान्य को प्राप्त हो सकें, ऐसी व्यवस्था इसके माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। निर्धारित समय में सेवा न उपलब्ध कराने पर 30 दिन के अन्दर प्रथम अपील करने का अधिकार होगा। यह अपनी उच्च विभागीय अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी। प्रथम अपील से संतुष्ट न होने पर 60 दिन के अन्दर द्वितीय अपील का अधिकार होगा। द्वितीय अपीलीय अधिकारी सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी पर शास्ति आरोपित कर सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है। अगर द्वितीय अपील अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न होने पर निगरानी नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवश्यकता नाम निर्दिष्ट अधिकारी के स्थान पर आयोग का गठन करके उसके द्वारा निगरानी सुनी जायेगी। आयोग निगरानी सुनने के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कर सकेगा और वार्षिक रूप से सेवा के अधिकार को सशक्त करने और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्तुति भी कर सकेगा। जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक द्वितीय अपील शासन में उच्च अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी जो प्रमुख सचिव स्तर से अनन्य श्रेणी का होगा। श्रीमन्, इस विधेयक के माध्यम से जो प्रत्येक नागरिक को निश्चित सेवायें निश्चित समय पर दिये जाने का प्राविधान इसके अन्तर्गत किया गया है। यह अतिआवश्यक विधेयक है, इसलिए सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अपने विचार नहीं रखे गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 21 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रीति से सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक मामलो के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "आयोग" से अधिनियम की धारा–12 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "पदाभिहित अधिकारी" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "पात्र व्यक्ति" से अधिनियम की धारा–3 के अधीन अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा–3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) "उपलब्ध समय सीमा" से अधिनियम की धारा–3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया अधिकतम समय अभिप्रेत है;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा को अधिकार" से उपलब्ध समय सीमा के भीतर सेवा को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा" से अधिनियम की धारा–3 के अधीन अधिसूचित सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा–3 के अधीन इस रूप मे अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ट) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और उपलब्ध समय सीमा के लिए अधिसूचना

3\. (1) राज्य सरकार, जिस पर यह अधिनियम लागू होगा, अधिसूचना द्वारा समय–समय पर सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा उपलब्ध कराई गई समय सीमा विहित कर सकेगी।

सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना

4\. पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध कराई गई समय–सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध करायेगा।

सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

5\. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई पात्र व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दिए गए समय–सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन पत्र को खारिज करेगा तथा आवेदन पत्र को खारिज करने की दशा में कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और उससे आवेदक को सूचित करेगा।

(3) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी आवेदित सेवा के अभिलेख का विस्तृत विवरण ऐसे प्ररूप मे, जैसा विहित किया जाय, अनुरक्षित करेगा।

प्रथम अपील

6\. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा–5 की उपधारा (1) के अधीन सेवा को प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या जो दिए गए समयावधि के भीतर सेवा को उपलब्ध नही कराता है, के लिए ऐसे खारिज करने की तारीख के तीस दिन के भीतर अथवा उपलब्ध कराई गई समय–सीमा की समाप्ति पर, जैसी स्थिति हो, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा।

(3) पात्र व्यक्ति और पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या तो अपील को स्वीकार करने के लिए कोई आदेश पारित करेगा या लिखित रूप में उसके खारिज करने के आदेश पारित करेगा तथा खारिज करने की दशा में खारिज करने के कारणों को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करेगा एवं पात्र व्यक्ति को उसे संसूचित करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उसकी प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर यथासम्भव प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित की जायेगी।

द्वितीय अपील

7. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी अपील सेवा प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या धारा–6 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में ऐसे आदेश के खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वार विहित समय की समाप्ति पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा.

परन्तु यह कि अपील को खारिज करने से पूर्व पात्र व्यक्ति को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा

परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन की गई अपील द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर यथाशीघ्र निर्णित की जायेगी।

समन और निरीक्षण करने की शक्ति

8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी में इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी अपील को निर्णित करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का संख्याक 5) के अधीन सिविल न्यायालयों के समरूप शक्तियाँ निहित होंगी; अर्थात्–

(क) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण और उनके निरीक्षण की अपेक्षा;

(ख) पदाभिहित अधिकारी और आवेदक को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और

(ग) अन्य कोई मामले, जैसे विहित किए जायं।

शास्तियां

9. (1) (क) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित कारणों के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने पर ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर वह एकमुश्त शास्ति, जो कि रूपये 500.00 से कम तथा रूपये 5000.00 से अधिक नही होगी, अधिरोपित कर सकेगा।

(ख) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित कारणो के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने पर ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराए जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो ऐसे पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर वह एकमुश्त शास्ति रूपये 250.00 प्रतिदिन की दर से ऐसे विलम्ब के लिए किए गए दिनों हेतु अधिरोपित कर सकेगा, जो कि रूपये 5000.00 से अधिक नही होगी.

परन्तु यह कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया मे सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन उसे/उन्हें अधिरोपित किसी दण्ड के लिए दण्ड देने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा उपधारा(1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की धनराशि में से आवेदक को को क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी धनराशि को दिए जाने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि उसके द्वारा विहित किया जाय, जो कि इस प्रकार अधिरोपित की गई शास्ति की कुल धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी इस अधिनियम के अधीन बिना पर्याप्त और समुचित कारणों के उन्हें सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने में असफल हो गया है तो उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन त्रुटि के लिए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा।

पुनरीक्षण

10. कोई व्यक्ति, जो कि द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर धारा–12 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन इस सम्बन्ध मे नाम–निर्दिष्ट अधिकारी या आयोग को उक्त आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन दे सकता है, जिसे विहित रीति से निस्तारित किया जायेगा

परन्तु यह कि आयोग या नाम–निर्दिष्ट अधिकारी, जैसी स्थिति हो, यदि समुचित कारणों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन न कर सकने के लिए यदि वह सन्तुष्ट हो तो वह उक्त साठ दिन के अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है।

सेवाओं को दर्शाया जाना और लिए गए समय की अवधि

11. जनता की सूचना के लिए सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा स्थानीय और वेबसाइट पर सेवाओं और दिए गए समय की अवधि को दर्शाया जाएगा।

आयोग का गठन

12. (1) यदि राज्य सरकार की राय में, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन हो तो वह अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आयोग का गठन कर सकेगी, जिसे उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ज्ञात नाम से जाना जायेगा

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा जब तक आयोग का गठन नहीं कर लिया जाता है तब तक वह अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के श्रेणी से अन्यून, किसी अधिकारी को नामित कर सकेगी, जो कि इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा,।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसे उपर्युक्त नाम से जाना जायेगा और जिसे शाश्वत् अधिकार प्राप्त होंगे तथा इस अधिनियम के प्राविधानों के अध्यधीन स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्तियों तथा संविदा करने, अपेक्षा करने, धारण करने और निस्तारित करने की शक्ति सहित एक सामान्य मुद्रा होगी और उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा, तथा वाद जा सकेगा।

(3) आयोग का प्रधान कार्यालय देहरादून अथवा ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

आयोग की संरचना 13. (1) आयोग मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों से संरचित होगा और उनकी नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) मुख्य आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव स्तर के किसी अधिकारी की श्रेणी को कोई सेवानिवृत्त अधिकारी होगा।

(3) आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी , जो कि सचिव के स्तर और श्रेणी तथा इसके समकक्ष श्रेणी और स्तर में राज्य की किसी सेवा मे उत्तराखण्ड राज्य संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं और/अथवा लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिसके पास लोक प्रशासन में दर्शन शास्त्र में शोध कार्य करने और किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन कार्य करने का अनुभव अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य मामले में प्रतिष्ठित हो, से नियुक्त किया जा सकेगा।

मुख्य आयुक्त की शक्तियां

14. (1) मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ होंगी। मुख्य आयुक्त धारा–17 की उपधारा(4) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में उसमें निहित आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के साथ–साथ बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति में अथवा मुख्य आयुक्त की रिक्ति की दशा में राज्य सरकार किसी एक आयुक्त को रिक्ति की अवधि में अथवा उसकी अनुपस्थिति मे मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियो का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नामित कर सकेगी।

(3) नामित आयुक्त उपधारा (2) के अधीन मुख्य आयुक्त के कृत्यो का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने पर आयुक्त के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, भत्ते अथवा अतिरिक्त सुविधाओ का हकदार नही होगा।

मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की सेवा की कार्यावधि और सेवा–शर्तें

15. (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल सम्बन्धित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त के रूप में नियुक्ति किया जाय, पूर्व से ही किसी अन्य पद पर कार्य कर रहा हो तो उसे उस पद से त्याग–पत्र देना होगा अथवा आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उस पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त करनी होगी।

(3) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी होगी।

(4) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त किसी भी समय लिखित रूप मे हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से राज्यपाल को सम्बोधित कर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेंगे। वह धारा–16 के अधीन उपबन्धित रीति में पद से हटाए जाने के लिए दायी भी होगा।

(5) मुख्य आयुक्त और आयुक्त की सेवा की शर्तें और निबन्धन तथा संदेय वेतन और भत्ते क्रमशः राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–16 की उपधारा (5) में अधिकथित व्यवस्था के समरूप होगी। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त और आयुक्तों पर उपर्युक्त उपधारा के सभी उपबन्ध यथावत् लागू होंगे।

(6) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन आयोग की उपयुक्त दक्षता के लिए, जैसा आवश्यक हो, ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें, ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाय।

मुख्य आयुक्त या आयुक्त को कतिपय परिस्थितियों में उनके पदों से निलम्बित किया जाना और हटाया जाना

15. (1) राज्य सरकार, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को हटा सकेगी, जो उसकी राय में–

(एक) वह दिवालिया घोषित हो गया हो; अथवा

(दो) किसी अपराध मे अभियुक्त हो, जो कि राज्य सरकार की राय में नैतिक अपराध से सम्बन्धित हो; अथवा

(तीन) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अयोग्य हो गया हो; अथवा

(चार) ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित की अपेक्षा करता हो, जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त किसी हैसियत में उसके कृत्य को सद्भावपूर्वक सम्पादित करने में कठिनाई हो; अथवा

(पांच) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग करता है, जिसके कारण उसका पद पर बना रहना, लोकहित में हानिकारक है।

(2) उपधारा (1) में किसी अन्य बात के होते हुए भी मुख्य आयुक्त अथवा कोई आयुक्त तब तक उसके पद से नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि–

(एक) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जाँच हेतु मुख्य आयुक्त और आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने के लिए ऐसे

प्रस्ताव के साथ आवश्यक पत्रजात, जो कि उसके हटाए जाने के आधार हों, सहित कोई सन्दर्भ नही किया जाता है;

(दो) ऐसे सन्दर्भ पर उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा सम्यक रूप से जाँच नहीं कर ली जाती है;

(तीन) जाँच समिति यह संस्तुत न कर दे कि मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को ऐसे आधार अथवा आधारों पर उसके पद से हटाया जाय।

(3) राज्य सरकार, सम्बन्धित मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्तों को उपधारा (2) के अधीन मुख्य न्यायाधीश को किए गए सन्दर्भ के पश्चात् निलम्बित कर सकेगी।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की शक्तियाँ और कृत्य

17. (1) इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन तथा सेवा को और अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देना, आयोग का दायित्व होगा। इस प्रयोजन के लिए आयोग,–

(क) धारा–10 के अधीन पुनरीक्षण को दाखिल और निस्तारित कर सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसा समुचित समझा जाय, ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए सन्दर्भित कर सकेगा;

(ग) सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी और कर्मचारी को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन में असफल होने पर राज्य सरकार को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा;

(ङ) सेवाओं की उपलब्धता के लिए प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए, जिससे सेवाओं की उपलब्धता को अधिक पारदर्शी और सरल किया जा सके, की संस्तुति कर सकेगा.

परन्तु यह कि ऐसी संस्तुति करने से पूर्व आयोग विभाग के प्रशासनिक प्रभारी सचिव से परामर्श करेगा, जो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दायी है;

(च) धारा–3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाली अतिरिक्त अधिसूचनाओं की संस्तुति तथा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं में उपान्तरण के लिए सुझाव दे सकेगा।

(2) जहाँ आयोग का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के मामलो मे जाँच करने के समुचित आधार उपलब्ध हैं, वहाँ वह उस सम्बन्ध में कोई जाँच स्वतः प्रारम्भ कर सकेगा।

(3) आयोग, जब इस धारा के अधीन किसी मामले की जाँच कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होगी–

(क) व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ–पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति;

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति.

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से, उससे सम्बन्धित कोई लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति;

(ङ) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति; और

(च) कोई अन्य मामले, जिसे विहित किया जाय, की शक्ति।

(4) आयोग अपने व्यवहरण के संचालन के लिए तथा किसी ऐसे मामलों के लिए, जैसा आयोग उचित समझे, विनियम बना सकेगा।

आयोग की संस्तुतियों पर सरकार की कार्यवाही

18. (1) राज्य सरकार, धारा–17 की उपधारा (1) के खण्ड(घ), (ङ) और (च) के अधीन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार करेगा और आयोग को तीस दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय पर, जैसा आयोग के साथ परामर्श कर अभिनिश्चित किया जाय, की गई कार्यवाही से आयोग को सूचना भेजेगा। यदि सरकार यह अभिनिश्चित करे कि आयोग की किसी संस्तुति पर अनुपालन नहीं किया जाना है तो आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही न किए जाने के लिए कारणों को संसूचित करेगा।

(2) आयोग, धारा–17 के अधीन उसके द्वारा की गई संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और कार्रवाई न करने के कारणों सहित, यदि कोई हो, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार, इस रिपोर्ट की प्रतियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर रखेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

19. इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी के विरूद्ध न होगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात्–

(क) धारा–5 की उपधारा (3) के अधीन सेवाओं को अभिलिखित करने के लिए अनुरक्षित रखने हेतु प्रारूप;

(ख) धारा–10 के अधीन आवेदन–पत्र के निस्तारण के लिए प्रक्रिया;

(ग) धारा–15 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन, भत्ते; तथा

(घ) कोई अन्य मामले, जो अपेक्षित हों या जिन्हें विहित किया जाना आवश्यक हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र मे अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों मे पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ही बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाय कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

21. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के परामर्श से दो वर्ष क अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड –21 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मै आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती अमृता रावत, श्री अजय टम्टा, श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री नारायण पाल तथा श्रीमती बीना महराना की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत देवलीखान पेयजल योजना के निर्माण न होने के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री अजय टम्टा की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा जिला चम्पावत की उप तहसील बाराकोट को पूर्ण तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्या श्रीमती बीना महराना की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाए अस्वीकार हुई ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन की कार्यवाही को कल दिनांक 29–09–2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 04 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून, महेश चन्द्र,

दिनांक, 28 सितम्बर, 2011 प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड

नत्थी 'क'

(देखिये परिशिष्ट का उत्तर पृष्ठ संख्या–70 पर)

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपद देहरादून

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल :

(क) नगर निगम :– (क) देहरादून

(ख) नगर पालिका परिषद :– (क) मसूरी (ख) ऋषिकेश (ग) विकासनगर

(ग) नगर पंचायत :– (क) हरबर्टपुर (ख) डोईवाला

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (½ किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं :

(क) रायपुर (ख) डोईवाला (ग) विकासनगर (घ) सहसपुर

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

(क) देहरादून (ख) ऋषिकेश (ग) विकास नगर

2. दुर्गम क्षेत्र:

(1) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित हैं

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) कालसी (क) चकराता

परन्तु यह कि 1(3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

2(2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–1

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपद टिहरी

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित;

कार्य–स्थल :

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) टिहरी (ख) नरेन्द्रनगर

(ख) नगर पंचायत :– (क) देवप्रयाग (ख) कीर्तिनगर (ग) चम्बा (घ) मुनीकीरेती

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) नरेन्द्रनगर (ख) चम्बा

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

(क) टिहरी (ख) मुनिकी रेती (ग) नरेन्द्रनगर

2. दुर्गम क्षेत्र:

(1) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) देवप्रयाग (ख) जौनपुर (ग) कीर्तिनगर (घ) भिलंगना (ङ) प्रतापनगर (च) जाखणीधार (छ) थौलधार

परन्तु यह कि 1(3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

2 (2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपद चमोली

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) गोपेश्वर (चमोली)

(ख) नगर पंचायत :– (क) गौचर (ग) कर्णप्रयाग (घ) नन्दप्रयाग

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं :

(क) दशोली (ख) कर्णप्रयाग (ग) गैरसैंण

> परन्तु परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1'' वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।
>
> गोपेश्वर (चमोली)

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

जोशीमठ

(2) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) घाट (ख) नारायणबगड (ग) थराली (घ) जोशीमठ (ङ) पोखरी (च) देवाल

> परन्तु यह कि 1 (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।
>
> अथवा
>
> 2 (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।
>
> अथवा
>
> जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिको की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपदः हरिद्वार

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल .

(क) नगर निगम	:–	(क) हरिद्वार
(ख) नगर पालिका परिषद	:–	(क) मगलौर (ख) रूडकी
(ग) नगर पचायत	:–	(क) लक्सर (ख) लण्ढौरा

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) नारसन (ख) बहादराबाद (ग) रूडकी

परन्तु परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1'' वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

(क) हरिद्वार (ख) रूडकी

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) निम्न नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

झबरेडा

(2) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) लक्सर (ख) भगवानपुर (ग) खानपुर

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

<u>सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा</u>

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

<u>जनपद– उत्तरकाशी</u>

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

उत्तरकाशी

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र मे स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (½ किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

चिन्यालीसौड

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा। उत्तरकाशी

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) निम्न नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

(क) बडकोट (ख) गंगोत्री

(2) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) मोरी (ख) डुण्डा (ग) भटवाडी (घ) नौगांव (ङ) पुरोला

परन्तु यह कि 1(3) मे दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र मे स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं। अथवा 2 (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं। अथवा जनपद मे कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपदः पौड़ी

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र मे स्थित; कार्य–स्थल

(क) पौड़ी (ख) दुगड्डा (ग) श्रीनगर (घ) कोटद्वार (ङ) लैंसडाउन (छावनी)

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2 किलोमीटर रेडियस) पर स्थित है .

(क) खिर्सू (ख) कोट (ग) जहरीखाल (घ) कल्जीखाल (ङ) द्वारीखाल

(च) दुगड्डा (छ) पौडी

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

(क) पौडी (ख) कोटद्वार (ग) श्रीनगर

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) पावौं (ख) एकेश्वर (ग) रिखणीखाल (घ) बीरोंखाल (ङ) पोखड़ा

(च) नैनीडाडा (छ) यमकेश्वर (ज) थलीसैंण

परन्तु यह कि 1(3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

2 (2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपदः रूद्रप्रयाग

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

रूद्रप्रयाग

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र मे स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

अगस्तमुनि

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा। रूद्रप्रयाग

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) उक्त (3) मे दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) ऊखीमठ (ख) जखोली

परन्तु यह कि 1(3) मे दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं। अथवा 2 (2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं। अथवा जनपद मे कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपद: पिथौरागढ़

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) पिथौरागढ़

(ख) नगर पंचायत :– (क) डीडीहाट

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) मूनाकोट (ख) कनालीछीना (ग) बिण (घ) बेरीनाग

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

पिथौरागढ़

2. दुर्गम क्षेत्र:

(1) निम्न नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

धारचूला

(2) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) मुनस्यारी (ख) गंगोलीहाट (ग) धारचूला (घ) डीडीहाट

परन्तु यह कि 1(3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

2 (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपदः बागेश्वर

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल;

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

बागेश्वर

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) बागेश्वर (ख) गरूड

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

बागेश्वर

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

कपकोट

परन्तु यह कि 1(3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

2 (2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपद अल्मोड़ा

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क)	नगर पालिका परिषद	:–	अल्मोडा
(ख)	नगर पंचायत	:–	द्वाराहाट
(ग)	छावनी बोर्ड	:–	रानीखेत

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2 किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) ताडीखेत (ख) चौखुटिया (ग) हवालबाग (घ) द्वाराहाट

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

(क) अल्मोडा (ख) रानीखेत छावनी बोर्ड

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) लमगडा (ख) धौलादेवी (ग) भैसियाछाना (घ) भिकियासैण (ड) स्यालदे (च) ताकुला (छ) सल्ट

परन्तु यह कि 1(3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

2 (2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपदः ऊधमसिंह नगर

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) रूद्रपुर (ख) काशीपुर (ग) जसपुर (घ) गदरपुर (ड) बाजपुर (च) किच्छा (छ) खटीमा (ज) सितारगंज

(ख) नगर पंचायत :– (क) महुवाडाबरा (ख) सुलतानपुर पट्टी (ग) केलाखेडा (घ) महुवाखेडागंज (ड) दिनेशपुर (च) शक्तिगढ

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र मे स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) रूद्रपुर (ख) सितारगंज (ग) खटीमा (घ) काशीपुर

(ड) बाजपुर (च) गदरपुर (छ) जसपुर .

> परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।
>
> (क) रूद्रपुर (ख) काशीपुर (ग) किच्छा

2. दुर्गम क्षेत्रः

उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

परिशिष्ट–1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपदः चम्पावत

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) टनकपुर

(ख) नगर पंचायत :– (क) चम्पावत (ख) लोहाघाट

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र मे स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2 किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) चम्पावत (ख) लोहाघाट

> परन्तु यह कि निम्न शहरो में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।
>
> टनकपुर

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) उक्त (3) मे दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) पाटी (ख) बाराकोट

> परन्तु यह कि 1(3) मे दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र मे स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।
>
> अथवा
>
> 2 (2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।
>
> अथवा
>
> जनपद मे कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट 1

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है

जनपद: नैनीताल

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर निगम :– (क) हल्द्वानी

(ख) नगर पालिका परिषद :– (क) नैनीताल (ख) भवाली (ग) रामनगर

(ग) नगर पंचायत :– (क) भीमताल (ख) लालकुंआ (ग) कालाढूंगी

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग (1/2 किलोमीटर रेडियस) पर स्थित हैं .

(क) रामनगर (ख) हल्द्वानी (ग) भीमताल

परन्तु यह कि निम्न शहरों में 1 वर्ष की तैनाती को 1½ वर्ष की सुगम तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

(क) नैनीताल (ख) हल्द्वानी (ग) रामनगर

2. दुर्गम क्षेत्र:

(1) उक्त (3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र के ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 1/2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी पर स्थित है

(2) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित समस्त कार्य–स्थल

(क) धारी (ख) बेतालघाट (ग) रामगढ़ (घ) ओखलकांडा

(ड) कोटाबाग

परन्तु यह कि 1(3) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 10 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

2 (2) में दिये गये विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल, जो मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग पर स्थित हैं।

अथवा

जनपद में कोई भी ऐसा कार्य–स्थल, जो 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहां 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपदः देहरादून

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर निगम :– (क) देहरादून

(ख) नगर पालिका परिषद :– (क) मसूरी (ख) ऋषिकेश (ग) विकासनगर

(ग) नगर पंचायत :– (क) हरबर्टपुर (ख) डोईवाला

(3) निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल,

(क) रायपुर (ख) डोईवाला (ग) विकासनगर (ङ) सहसपुर

2. दुर्गम क्षेत्रः

निम्न विकास खण्ड क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

(क) कालसी (ख) चकराता

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद टिहरी

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) टिहरी (ख) नरेन्द्रनगर

(ख) नगर पंचायत :– (क) देवप्रयाग (ख) कीर्तिनगर

(क) चम्बा (ख) मुनीकीरेती

(3) निम्न विकास खण्डों क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल,

(क) नरेन्द्रनगर (ख) चम्बा

2. दुर्गम क्षेत्र :

निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल

(क) देवप्रयाग (ख) जौनपुर (ग) कीर्तिनगर (घ) भिलंगना

(ङ) प्रतापनगर (च) जाखणीधार (छ) थौलधार

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिको की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र मे होती है

जनपद चमोली

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) गोपेश्वर

(ख) नगर पंचायत :– (क) गौचर (ख) कर्णप्रयाग (ग) नन्दप्रयाग

(3) निम्न विकास खण्डों क्षेत्र मे स्थित ऐसे कार्य–स्थल,

(क) दशोली (ख) कर्णप्रयाग (ग) गैरसैण

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र मे स्थित कार्य–स्थल

जोशीमठ

(2) निम्न विकास खण्डों मे स्थित कार्य–स्थल

(क) घाट (ख) नारायणबगड (ग) थराली

(घ) जोशीमठ (ङ) पोखरी (च) देवाल

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद हरिद्वार

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर निगम :– (क) हरिद्वार

(ख) नगर पालिका परिषद :– (क) मंगलौर (ख) रुड़की

(ग) नगर पंचायत :– (क) लक्सर (ख) लण्ढौरा

(3) निम्न विकास खण्डों क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल,

(क) नारसन (ख) बहादराबाद (ग) रुड़की (ड) लक्सर

2. दुर्गम क्षेत्र:

(1) निम्न नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

झबरेडा

(2) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल

(क) भगवानपुर (ख) खानपुर

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद उत्तरकाशी

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

उत्तरकाशी

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल,

चिन्यालीसौड़ा

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1) निम्न नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

(क) बड़कोट (ख) गंगोत्री

(2) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल

(क) मोरी (ख) डुण्डा (ग) भटवाड़ी
(घ) नौगाँव (ङ) पुरोला

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद–पौड़ी

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) पौड़ी (ख) दुगड्डा (ग) श्रीनगर (घ) कोटद्वार

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित ऐसे कार्य–स्थल,

(क) खिर्सू (ख) कोट (ग) जहरीखाल (घ) कल्जीखाल

(ङ) द्वारीखाल (च) दुगड्डा (छ) पौड़ी

2. दुर्गम क्षेत्रः

निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल

(क) पावो (ख) एकेश्वर (ग) रिखणीखाल

(घ) बीरोंखाल (ङ) पोखड़ा (च) नैनीडांडा

(छ) यमकेश्वर (ज) थलीसैण

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद–रूद्रप्रयाग

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित: कार्य–स्थल

रूद्रप्रयाग

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल,

अगस्त्यमुनि

2. दुर्गम क्षेत्रः

(1)निम्न नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

(क) ऊखीमठ (ख) जखोली

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद पिथौरागढ़

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) पिथौरागढ़

(ख) नगर पंचायत :– (क) डीडीहाट

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल,

(क) मूनाकोट (ख) कनालीछीना (ग) विण

2. दुर्गम क्षेत्र:

(1) निम्न नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कार्य–स्थल

धारचूला

(2) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल

(क) मुनस्यारी (ख) गंगोलीहाट (ग) धारचूला (घ) बेरीनाग

(ङ) डीडीहाट

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद बागेश्वर

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

बागेश्वर

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल,

(क) बागेश्वर (ख) गरूड़

2. दुर्गम क्षेत्रः

(2) निम्न विकास खण्ड में स्थित कार्य–स्थल

कपकोट

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

[ ]नोटः– यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत छावनी बोर्ड क्षेत्र में होती है

जनपद अल्मोड़ा

1. सुगम क्षेत्र:

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) नम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित: कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) अल्मोड़ा

(ख) नगर पंचायत :– (क) द्वाराहाट

(ग) छावनी बोर्ड :– (ग) रानीखेत

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल,

(क) ताड़ीखेत (ख) चौखुटिया (ग) हवालबाग (घ) द्वाराहाट

2. दुर्गम क्षेत्र:

(2) निम्न विकास खण्डों मे स्थित कार्य–स्थल

(क) जमगडा (ख) धौलादेवी (ग) भैंसियाछाना (घ) भिकियासैण
(ड) स्यालदे (च) ताकुला (छ) सल्ट

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद–ऊधमसिंह नगर

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(ख) नगर पालिका परिषद :– (क) रूद्रपुर (ख) काशीपुर (ग) जसपुर (घ) गदरपुर (ड) बाजपुर (च) किच्छा (छ) खटीमा (ज) सितारगंज

(ग) नगर पंचायत :– (क) महुवाडाबरा (ख) सुलतानपुर पट्टी (ग) केलाखेडा (घ) महुवाखेडागंज (ड) दिनेशपुर (च) शक्ति गढ

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल

(क) रूद्रपुर (ख) सितारगंज (ग) खटीमा (घ) काशीपुर
(ड.) बाजपुर (च) गदरपुर (छ) जसपुर

2. दुर्गम क्षेत्रः

शून्य

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड (झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र मे होती है

जनपद चम्पावत

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर पालिका परिषद :– (क) टनकपुर

(ख) नगर पंचायत :– (क) चम्पावत (ख) लोहाघाट

(3) निम्न विकास खण्डों क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्य–स्थल,

चम्पावत

2. दुर्गम क्षेत्रः

(2) निम्न विकास खण्डों मे स्थित कार्य–स्थल

(क) पाटी (ख) लोहाघाट (ग) बाराकोट

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–2

{देखिए धारा 3 का खण्ड(झ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है

जनपद नैनीताल

1. सुगम क्षेत्रः

(1) जनपद मुख्यालय पर स्थित कार्य–स्थल

(2) निम्न नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित; कार्य–स्थल

(क) नगर निगम :– (क) हल्द्वानी

(ख) नगर पालिका परिषद :– (क) नैनीताल (ख) भवाली (ग) रामनगर

(ग) नगर पंचायत :– (क) भीमताल (ख) लालकुँआ(ग) कालाढूँगी

(3) निम्न विकास खण्डों में स्थित कार्य–स्थल,

(क) रामनगर (ख) हल्द्वानी (ग) भीमताल

2. दुर्गम क्षेत्रः

(2) निम्न विकास खण्डों मे स्थित कार्य–स्थल

(क) धारी (ख) बेतालघाट (ग) रामगढ़

(घ) ओंखलकाण्डा (ङ) कोटाबाग

परन्तु यह कि जो कार्य–स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट–3

{देखिए धारा 3 का खण्ड (ञ)}

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है

1. सुगम क्षेत्र:

निम्न जनपद

1. देहरादून	2. हरिद्वार	3. उधमसिंहनगर
4. नैनीताल	5. अल्मोड़ा	6. टिहरी

2. दुर्गम क्षेत्र :

निम्न जनपद

1. पौड़ी	2. उत्तरकाशी	3. चमोली
4. रूद्रप्रयाग	5. चम्पावत	6. बागेश्वर
7. पिथौरागढ़।		

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधान सभा/183–16–8–2012–000 (कम्प्यूटर/रीजियो)